

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2009 सत्र

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत अधिकृत चिकित्सालय

1. (*क्र. 105) श्री दूजराम बौद्ध : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के किन-किन अस्पतालों को बाल हृदय रोग के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है ? (ख) क्या हृदय रोग का आपरेशन/इलाज (एंजियोप्लास्टी तथा बाई पास सर्जरी) उक्त अस्पतालों में निःशुल्क किया जाता है ? (ग) क्या आपरेशन के पूर्व हृदय रोग से संबंधित इको (ई.सी.एच.ओ.) टेस्ट एवं एंजियोग्राफी टेस्ट भी अधिकृत अस्पतालों द्वारा निःशुल्क किया जाता है या मरीज को उसका भुगतान करना पड़ता है ? (घ) अब तक शासन द्वारा अधिकृत किन-किन अस्पतालों में कितने-कितने बच्चों का आपरेशन किया गया है ? मरीजों का नाम सहित तिथिवार जानकारी दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) अपोलो बी.एस.आर. अस्पताल भिलाई, जिला दुर्ग, एस्कार्ट हार्ट सेंटर जिला रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल जिला रायपुर, अपोलो अस्पताल जिला बिलासपुर. (ख) जी हां. (ग) जी हां. जी नहीं. (घ) अपोलो बी. एस. आर. अस्पताल भिलाई में 145, एस्कार्ट हार्ट सेंटर जिला रायपुर में 118, रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में 52 तथा अपोलो अस्पताल बिलासपुर में 25 बच्चों का आपरेशन किया गया. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

जिला राजनांदगांव में सूखाग्रस्त तहसील तथा स्वीकृत राहत कार्य

2. (*क्र. 160) श्री भोलाराम साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 में राजनांदगांव जिले की कौन-कौन सी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? सूखाग्रस्त घोषित करने की तिथि से 27-6-2009 तक कौन-कौन से राहत कार्य सूखा राहत मद से स्वीकृत किए गए हैं ? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : वर्ष 2008-09 में राजनांदगांव जिले के छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानुपर, डोंगरगांव एवं छुरिया तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. सूखाग्रस्त घोषित करने की तिथि से 27-6-2009 तक कुल 243 कार्य सूखा राहत मद से स्वीकृत किए गए हैं. विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिले में वृद्धा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति

3. (*क्र. 166) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में रायगढ़ शहर, रायगढ़, पुसौर एवं बरमेला वि. खं. में इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस तिथि से लागू किया गया है ? उपरोक्त चारों इकाईयों में कुल कितने-कितने व्यक्ति इस योजना के लिये पात्रता रखते हैं ? 30-6-2009 तक कितने-कितने पात्र लोगों को स्वीकृति शहरों वार्डवार तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार दी गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित चारों इकाईयों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के कितने-कितने निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन के लिये स्वीकृति दी गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) रायगढ़ जिले में रायगढ़ शहर, रायगढ़, पुसौर एवं बरमेला वि. खं. में इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19-11-2007 से लागू की गई है. इस योजना के तहत इन चार इकाईयों में निम्नानुसार 19,583

आवेदक/व्यक्ति पात्रता रखते हैं :—

रायगढ़ शहर (नगर पालिक निगम)	-	4224
विकासखण्ड रायगढ़	-	6495
विकासखण्ड पुसौर	-	4559
विकासखण्ड बरमकेला	-	4305

कुल योग - 19583

दिनांक 30-06-2009 तक इस योजना के तहत चारों इकाईयों में निम्नानुसार 19324 पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई है :—

रायगढ़ शहर (नगर पालिक निगम)	-	4224
विकासखण्ड रायगढ़	-	6495
विकासखण्ड पुसौर	-	4559
विकासखण्ड बरमकेला	-	4046

कुल योग - 19324

शहरी वार्डवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) रायगढ़ जिले में रायगढ़ शहर, रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला विकासखण्ड में 65 वर्ष से अधिक उम्र के 19583 निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन के लिये स्वीकृति दी गई है :—

रायगढ़ शहर (नगर पालिक निगम)	-	4224
विकासखण्ड रायगढ़	-	6495
विकासखण्ड पुसौर	-	4559
विकासखण्ड बरमकेला	-	4305

कुल योग - 19583

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण संबंधी

4. (*क्र. 206) श्री रविन्द्र चौबे : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम मुजगहन प. ह. नं. 119 तहसील रायपुर में किन-किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके परिवार को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त आवंटित भूमि में से 4.00 एकड़ भूमि में अतिक्रमण किया गया है ? (ग) यदि हां, तो आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ग्राम मुजगहन प. ह. नं. 119/50 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मुरलीधर राठीर के परिवार से उनकी पत्नि श्रीमती सुशीला राठीर, निवासी राठीर चौक, रायपुर को 5 एकड़ भूमि कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है. (ख) जी हां. आवंटित भूमि में से लगभग 4 एकड़ पर अतिक्रमण किया गया है. (ग) आवंटित भूमि में से 1.50 एकड़ से अतिक्रमण हटा दिया गया है, शेष आवासीय भूकानों एवं खलिहानों का अतिक्रमण वर्षाकाल के बाद हटाए जाने की कार्यवाही की जावेगी.

विकासखण्ड कसडोल में निर्माणाधीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थिति

5. (*क्र. 406) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विकासखण्ड कसडोल में 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ? कार्य की समाप्ति की तारीख क्या थी ? वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है ? अस्पताल कब तक जनता के लिए शुरू कर दिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : 100 बिस्तर के स्थान पर 50 बिस्तर व आवासीय परिसर के लिए दिनांक 28-01-2006 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। कार्य की समाप्ति की तिथि 30-04-2008 है। वर्तमान में 50 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व आवासीय परिसर कार्य पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में स्थगित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

दुर्ग जिले में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति

6. (*क्र. 396) श्री मदनलाल साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 में दुर्ग जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुए ? विधानसभावार जानकारी दें ? (ख) स्वीकृत में से कितने में 01-07-09 तक भवन व स्टाफ उपलब्ध कराये जा चुके हैं ? (ग) शेष में कब तक भवन निर्माण व पद पूर्ति हो जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोई नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला दुर्ग में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

7. (*क्र. 386) श्री विरेन्द्र कुमार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, तथा किन-किन ग्रामों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है ? संचालित केन्द्रों में कितने भवन विहीन हैं ? (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक भवन निर्माण कर उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) दुर्ग जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 302 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र, जिन ग्रामों में प्रस्तावित हैं, ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 87 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन स्वीकृत नहीं हैं। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में अवैध हथियारों की बरामदगी के प्रकरणों पर कार्यवाही

8. (*क्र. 335) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में दिसम्बर 2008 से 28 जून, 2009 के मध्य कितने स्थानों पर अवैध हथियार, गोली, गोला एवं बारूद पुलिस द्वारा बरामद की गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" के कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है एवं कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी नहीं की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से 28 जून, 2009 के मध्य 131 स्थानों पर 151 अवैध हथियार, 24701 जिंदा गोली, 16 खाली गोली, 47 ग्रेनेड, 49 बम तथा 64,246 किलो ग्राम बारूद पुलिस द्वारा बरामद किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश "क" के 131 प्रकरणों में से 80 प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है। 51 प्रकरणों में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जेल में कैद बंदियों से गैरकानूनी वस्तुयें प्राप्त होने पर कार्यवाही

9. (*क्र. 309) श्री ताम्रध्वज साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कौन-कौन सी केन्द्रीय जेलों में कैदियों के पास से गैरकानूनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ? (ख) इन प्रकरणों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कौन-कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश की केन्द्रीय जेल दुर्ग, बिलासपुर एवं रायपुर में कैदियों के पास से गैरकानूनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। (ख) इन प्रकरणों में अब तक की गई कार्यवाही, दोषी पाये गये तथा दोषियों पर की गई कार्यवाही संबंधी विवरण परिशिष्ट में †† संलग्न है। (ग) निरंक.

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों की युक्ति-युक्त आधार पर पदस्थी

10. (*क्र. 322) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के पी. एच. सी. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में महिला चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या जहां महिला चिकित्सक नहीं हैं वहां प्रत्येक प्रा. स्वा. केन्द्रों में एक महिला चिकित्सक पदस्थ हो यह सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान किया जा रहा है यदि हां, तो क्या ? (ख) क्या प्रश्नांक (क) के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से अधिक महिला चिकित्सक हैं उन्हें हटाकर महिला चिकित्सकविहीन प्रा. स्वा. केन्द्र में पदस्थ करने का सरकार प्रयास करेगी या कर रही है ? (ग) क्या एम. बी. बी. एस. महिला चिकित्सकों की कमी की पूर्ति हेतु तीन वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को पदस्थ करने के शासन के पास कोई प्रस्ताव लंबित अथवा विचाराधीन है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं होता. ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं.

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेडिकल अस्पताल रायपुर में उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था

11. (*क्र. 331) श्री देवजी भाई पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय अस्पताल, रायपुर में 1 जनवरी, 2008 से 25 जून, 2009 तक एम. आर. आई., सी. टी. स्केन और कोबाल्ट मशीन (कैंसर सिंकाई) कब-कब और कितने-कितने दिनों के लिए बंद हुईं और क्यों ? (ख) कैंडिका "क" के मशीनों/उपकरणों की खराबी पर उनके सुधार की क्या व्यवस्था है ? (ग) कैंडिका "क" के उपकरणों की खराबी के दौरान मरीजों की जांच की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय अस्पताल में 01-01-08 से 25 जून 2009 तक एम. आर. आई. मशीन 81 दिन तक सिटी स्केन मशीन 31 दिन बंद रही तथा एवं कोबाल्ट मशीन दिनांक 25-11-08 एवं दिनांक 04-05-09 को एक-एक दिन बंद रही. विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) मशीनों/उपकरणों की खराबी निर्माता कंपनी या अधिकृत संस्थान द्वारा दूर की जाती है. इस प्रक्रिया में अधिकतम 5-7 दिन का समय लगता है. इसके लिये कंपनी से वार्षिक रखरखाव अनुबंध भी किया गया है. (ग) मशीनों के खराबी के दौरान सिटी स्केन और एम. आर. आई. की और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है क्योंकि अतिरिक्त मशीनें नहीं हैं. इस दौरान मरीजों की नियमित उपचार सलाह जारी रहता है तथा कैंसर चिकित्सा की वैकल्पिक व्यवस्था रेडियोथेरेपी एवं बेक्रीथेरापी एवं कीमोथेरेपी उपलब्ध है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरण

12. (*क्र. 400) श्री परेश बागबहरा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2008 से जून, 2009 के मध्य खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब विक्रय के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) अवैध शराब विक्रय करने के संबंध में माह मई 2009 में माननीय गृह मंत्री जी, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक-रायपुर एवं पुलिस अधीक्षक महासमुन्द को उक्त क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय का विरोध करने वालों को अवैध शराब विक्रय करने वालों के द्वारा धमकी दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री नन्कोराम कंवर) : (क) माह दिसम्बर, 2008 से जून, 2009 के मध्य खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब विक्रय के 146 प्रकरण पंजीबद्ध कर 146 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया है. (ख) अवैध शराब विक्रय करने के कारण मोबाईल फोन से धमकी दिये जाने संबंधी एक शिकायतपत्र माननीय विधायक श्री परेश बागबहरा द्वारा माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग एवं पुलिस अधीक्षक जिला महासमुन्द को माह मई 2009 में दी गई. उक्त शिकायत के आधार पर दिनांक 11-05-2009 को थाना बागबहरा में अपराध क्रमांक- 136/09 धारा 506 भादवि पंजीबद्ध कर दिनांक 03-07-09 को आरोपी शराब ठेकेदार प्रमोद सिंह निवासी झलप, थाना पिथौरा को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक- 160/09 तैयार किया गया है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लाफ्फार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

13. (*क्र. 04) श्री सीरध सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लाफ्फार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा अधिग्रहित ग्राम आरसमेटा के कितने किसानों की भूमि का मुआवजा प्रकरण लंबित है ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

† परिशिष्ट "चार"

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 22 कृषकों का भुगतान लंबित है. (ख) 11 कृषकों द्वारा मुआवजा लेने से इंकार करने के कारण मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका है. कृषक यदि मुआवजा लेना चाहे तो तत्काल मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा. शेष 11 कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रिट पिटीशन दायर किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.

रायगढ़ जिले में हुई आपराधिक घटनाओं की जानकारी

14. (*क्र. 365) श्री नंदकुमार पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में 01 जनवरी, 2008 से दिनांक 01-07-2009 तक लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार एवं हत्या के कितने-कितने मामले दर्ज किए गये हैं ? थानावार जानकारी दें ? (ख) कितने प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला रायगढ़ में लूट के (48), डकैती के (4), चोरी के (787), अपहरण के (16), बलात्कार के (49) एवं हत्या के (119) प्रकरण तथा जिला जशपुर में लूट के (38), डकैती के (7), चोरी के (182), अपहरण के (59), बलात्कार के (104), हत्या के (88) प्रकरण दर्ज किये गये हैं. थानावार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) कुल दर्ज 1501 प्रकरणों में से 1271 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है, एवं 230 प्रकरण लंबित हैं. इन लंबित प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर किया जायेगा. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

प्रदेश में घटित नक्सली मुठभेड़ में मृतक व्यक्तियों की संख्या

15. (*क्र. 112) श्री रूद्र कुमार गुरू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में दिनांक 30-06-2009 तक प्रदेश के किन-किन स्थानों पर किस-किस दिनांक को नक्सली मुठभेड़ हुई ? (ख) नक्सली मुठभेड़ में कितने-कितने पुलिस कर्मचारी व अधिकारी तथा कितने ग्रामीणों की मौतें हुई ? (ग) नक्सली मुठभेड़ में मृत लोगों के परिजनों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? कितने कर्मचारियों के परिवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2007-08 में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 223 नक्सली मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के स्थान एवं दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. वर्ष 2008-09 में 30-06-2009 तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 326 नक्सली मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के स्थान एवं दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में है. (ख) नक्सली मुठभेड़ में 165 पुलिस कर्मचारी व अधिकारी एवं 33 एस. पी. ओ. शहीद हुए हैं तथा 05 ग्रामीणों की मौत हुई है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में नक्सली मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों के 147 परिजनों को 632 लाख रुपये अनुग्रह राशि एवं 134 परिजनों को 1347.75 लाख रुपये बीमा राशि दी गई है एवं शहीद एस.पी.ओ. के 33 परिजनों को 115 लाख रुपये एवं मृत ग्रामीणों के 03 परिजनों को 03 लाख रुपये मुआवजा राशि दी गई है. शहीद पुलिस कर्मियों के 39 परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालखरीदा में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

16. (*क्र. 252) महन्त रामसुन्दर दास : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालखरीदा में अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद कितने हैं एवं स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में सेवारत कितने हैं ? पृथक-पृथक बतायें ? (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालखरीदा में स्वीकृत पदों के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालखरीदा, मालखरीदा के अलावा अन्यत्र संचालित है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ? (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालखरीदा को मालखरीदा में ही कब तक संचालित किया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला अंबिकापुर तथा जशपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

17. (*क्र. 326) डॉ. प्रेमसाय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंबिकापुर व जशपुर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन हैं एवं कितने पी. एच. सी. महिला चिकित्सक विहीन हैं ? (ख) उपरोक्त जिलों में कितने ऐसे पी. एच. सी. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) हैं जहाँ एक से अधिक चिकित्सक हैं ? (ग) उक्त जिलों में चिकित्सकों की भर्ती कब तक की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) अंबिकापुर जिले में 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन तथा 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिला चिकित्सक विहीन हैं, जशपुर जिले में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नहीं है तथा 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिला चिकित्सक विहीन हैं. (ख) अंबिकापुर जिले में 14 तथा जशपुर जिले में 15. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सालयों की संख्या तथा आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत पद

18. (*क्र. 41) डॉ. शिव कुमार डहरिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी हैं ? जिलेवार स्थान तथा स्वीकृत बेड संख्या सहित जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों एवं सहायक आयुर्वेद अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सालय 07 एवं औषधालय 634 हैं. जिलेवार स्थानों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. स्वीकृत बेड संख्या 330 है. (ख) प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 979 पद एवं सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 37 पद स्वीकृत हैं. भरे एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

महासमुन्द जिले में अपराधिक घटनाओं की जानकारी

19. (*क्र. 46) डॉ. हरिदास भारद्वाज : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले अंतर्गत हत्या, दहेज, बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी एवं जाली नोट के कितने-कितने प्रकरण 01 जनवरी, 2008 से 31 मई, 2009 तक दर्ज किये गये थानेवार बतायें ? (ख) कितने प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये ? कितने चालान पेश हुये तथा कितने प्रकरणों में 31-5-2009 तक अपराधी नहीं पकड़े गये थानेवार बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) (दिनांक 01 जनवरी 2008 से 31 मई 2009 तक) प्रस्ताधीन अवधि में महासमुन्द जिला अन्तर्गत हत्या के (24), दहेज के (33), बलात्कार के (36), डकैती के (1), लूट के (10), चोरी के (223) एवं जाली नोट के (3) अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं. थानेवार जानकारी प्रपत्र "अ" में †† संलग्न है. (ख) कुल दर्ज 330 प्रकरणों में से 188 अपराधिक प्रकरणों में आरोपी पकड़े गये हैं एवं 177 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किया गया है तथा दिनांक 31-05-2009 तक 142 प्रकरणों में अपराधी नहीं पकड़े गये. थानेवार जानकारी प्रपत्र "ब" में †† संलग्न है.

पुलिस कर्मियों अथवा सुरक्षा बलों को नक्सली जोखिम भत्ता प्रदाय किए जाने संबंधी

20. (*क्र. 233) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में पदस्थ पुलिस कर्मियों अथवा सुरक्षा बलों को नक्सली जोखिम भत्ता (20 प्रतिशत) शासन द्वारा दिया जाता है ? (ख) यदि हां, तो क्या जेवर, पमलवाय, बोंगापाल व भद्रकाली (भोपालपट्टनम) में पदस्थ, एस. ए. एफ 3-री बटालियन के ए. बी. डी. एफ. कम्पनियों के सुरक्षा कर्मियों को भी जोखिम भत्ता दिया जा रहा है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हें उक्त जोखिम भत्ता दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं नारायणपुर में पदस्थ पुलिस कर्मियों को

संवेदनशीलता के आधार पर क्रमशः 15 एवं 20 प्रतिशत नक्सल इयूटी भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) बीजापुर के अंतर्गत जेवाराम, पामलवाया व भद्राकाली (भोपालपट्टनम) में पदस्थ, एस. ए. एफ. 3-री बटालियन के ए. बी. डी. एफ. कम्पनियों के सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशीलता के आधार पर 15 प्रतिशत नक्सल जोखिम भत्ता की पात्रता है। तदनुसार उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित शासकीय औषधालय

21. (*क्र. 132) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय औषधालय स्थापित हैं ? (ख) इन औषधालयों में डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने कार्यरत हैं ? (ग) रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 07 शासकीय औषधालय स्थापित हैं। (ख) 07 पद स्वीकृत एवं 06 कार्यरत हैं। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

वेदांता मेडिकल रिसर्च के साथ एम.ओ.यू.

22. (*क्र. 374) श्री मोहम्मद अकबर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 अगस्त, 2008 को कैसर अस्पताल बनाने हेतु किये गये एम. ओ. यू. के आधार पर उक्त संस्था को किन शर्तों के अधीन क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं तथा क्या-क्या सुविधाएं प्रदाय किया जाना शेष है ? संस्था के डायरेक्टर कौन-कौन हैं ? (ख) उक्त एम. ओ. यू. में कब-कब क्या संशोधन किये गये हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 अगस्त 2008 को कैसर अस्पताल बनाने हेतु किये गये एम. ओ. यू. की प्रति † संलग्न प्रपत्र "अ" में है। एम. ओ. यू. में वर्णित शर्तों के अधीन एम. ओ. यू. में वर्णित सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है। संस्था के संचालकों की सूची † संलग्न प्रपत्र "ब" है। (ख) एम. ओ. यू. में कोई संशोधन नहीं किये गये हैं।

कोरिया जिले में पुलिस विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पद

23. (*क्र. 355) श्री दीपक कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में पुलिस विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जा सकेगा ? (ख) जिले में किन-किन स्थानों पर नये थाने खोले जाना प्रस्तावित है ? कब तक अस्तित्व में आयेंगे ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कोरिया जिले में पुलिस विभाग के अंतर्गत स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है। नवनियुक्त परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक/सूबेदार/उप निरीक्षक वर्तमान में प्रशिक्षणरत हैं। प्रशिक्षण उपरंत रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। सहायक उप निरीक्षक/प्र. आर. के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा रैंज स्तर पर की जाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति शीघ्र की जा सकेगी। आरक्षक/आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु रैंज मुख्यालय, अंबिकापुर में भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। भर्ती/प्रशिक्षण उपरंत रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। स्टेनो/सहायक उप निरीक्षक (अ) के रिक्त पदों की पूर्ति आगामी भर्ती की प्रक्रिया के समय मेलनर्स/कम्पाउन्डर/ड्रेसर के पदों के प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग से योग्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के प्रयास किये जा रहे हैं। (ख) कोरिया जिले में नये पुलिस थाने खोले जाना प्रस्तावित है :-

- (1) महिला पुलिस थाना बैकुण्ठपुर
- (2) ग्राम ताराबहरा.

निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र

24. (*क्र. 376) श्री दूजराम खीट्ट : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्वीकृत हैं ? (ख) कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 246 उप स्वास्थ्य केन्द्र, † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार, (ख) † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार

रायगढ़ जिले के इंड सिनर्जी उद्योग को भूमि आवंटन एवं वृक्षों की कटाई की अनुमति

25. (*क्र. 167) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के इंड सिनर्जी उद्योग महापल्ली-कोटमार के आधिपत्य में कितनी शासकीय एवं कितनी निजी जमीन है ? कितनी भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों से ली गई है तथा कितनी शासकीय भूमि किस-किस मद की ली गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित भूमि में खसरा एवं भूमि स्वामीवार उद्योग लगाते समय कुल कितने वृक्ष थे ? कितने वृक्षों का मुआवजा किसानों को दिया गया है तथा 30-6-2009 की स्थिति में कितने वृक्ष हैं ? कितनी-कितनी संख्या में वृक्षों को काटने की अनुमति कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा दी गयी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं है, 103.640 हेक्टेयर निजी भूमि भू-अर्जन एवं क्रय कर ली गई है, 32.782 हेक्टेयर भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों से ली गई है, (ख) उल्लेखित भूमि में से भू-अर्जन की गई भूमि पर 797 वृक्ष थे जिसका मुआवजा किसानों को दिया गया, दिनांक 30-6-2009 की स्थिति में उद्योग की भूमि पर कुल 966 वृक्ष स्थित हैं, उद्योग को 27 वृक्ष काटने की अनुमति कलेक्टर रायगढ़ द्वारा दी गई है, विस्तृत जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है,

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 166) के भाग (क) की जानकारी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहियों की वार्डवार एवं पंचायतवार जानकारी

नगर पालिक निगम रायगढ़

क्र. (1)	वार्ड क्र. (2)	हितग्राहियों की संख्या (3)
1.	1	73
2.	2	172
3.	3	91
4.	4	134
5.	5	193
6.	6	285
7.	7	103
8.	8	185
9.	9	19
10.	10	35
11.	11	45
12.	12	35
13.	13	50
14.	14	72
15.	15	19
16.	16	31
17.	17	38
18.	18	9
19.	19	8
20.	20	10
21.	21	55
22.	22	57
23.	23	47
24.	24	84
25.	25	67
26.	26	21
27.	27	257
28.	28	57
29.	29	70
30.	30	275
31.	31	143
32.	32	135
33.	33	117
34.	34	250
35.	35	135
36.	36	217
37.	37	272
38.	38	223
39.	39	53
40.	40	82
	कुल योग	4224

जनपद पंचायत रायगढ़

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितधारियों की संख्या	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितधारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	सहस्रपुरी	52	45.	छोगपुर	92
2.	बगदापुरी	107	46.	फरापाली प.	20
3.	भानपुर	100	47.	बोड़दाद	96
4.	नीरगपुर	97	48.	पण्डोपानी प.	47
5.	नावापारा	57	49.	हुडी	58
6.	बरापाली	93	50.	कोतलिया	58
7.	सरवानी	132	51.	गेरवानी	47
8.	कुल्वा	193	52.	लाखा	46
9.	कांटाहरदी	59	53.	उर्दना	40
10.	वाघग	164	54.	भगवानपुर	46
11.	पडम	83	55.	बंगुसिया	43
12.	सगडामाल	107	56.	नवागाव	49
13.	नदनी	127	57.	सम्बलपुरी	69
14.	तारापुर	93	58.	तिलगा	77
15.	बालमगोडा	67	59.	वरलिया	85
16.	उमरौट	68	60.	भेकवाटिकरा	67
17.	जामपाली	94	61.	रेगडा	76
18.	डूमरपाली	86	62.	त्रिजयपुर	40
19.	कछार	91	63.	काटमार	41
20.	देवरी	56	64.	पनगापाली प.	74
21.	लेबडा	103	65.	टारपाली	170
22.	काशीचुवा	107	66.	गोपालपुर	97
23.	कुशावावरी	89	67.	महापाली	47
24.	कोडतराई	95	68.	मियापपाली	72
25.	पंडरीपानी प.	130	69.	लोईग	106
26.	डोंगीतराई	49	70.	बिजवनाबपानी	82
27.	कोसमपाली	82	71.	बेलरिया	103
28.	पटेलपानी	42	72.	बनोरा	98
29.	तणकेला	62	73.	कुकुर्दा	79
30.	कोतरा	65	74.	सकरावांग	89
31.	कुरमापाली	95	75.	कोलाईबहाउ	86
32.	धनागर	138	76.	जामगाव	103
33.	गेजामुडा	55	77.	कोयलगा	80
34.	कुसमुग	82	78.	सुहीपाली	102
35.	जोरापाली	96	79.	झारमुडा	56
36.	अमलीभावना	44	80.	सपनई	33
37.	सांगीतराई	56	81.	मनुवापाली	68
38.	बनसिया	82	82.	भगोरा	41
39.	नर्सिया	65	83.	गोरखा	28
40.	उर्चाभिठडी	38	84.	देवारी	67
41.	परसदा	136			
42.	चिराईपानी प.	40		योग	6495
43.	कलमी	52			
44.	सराईपाली	41			

जनपद पंचायत पुसौर

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राहियों की संख्या	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	रामपाली	64	45.	लारा	32
2.	औरदा	80	46.	लिट्टाईपाली	27
3.	बाधाडोला	104	47.	मिहुमिडा	96
4.	बाराडोली	76	48.	मल्दा	75
5.	बुनगा	120	49.	महलोई	109
6.	बोन्दा	67	50.	नावापारा "म"	23
7.	बासनपल्ली	35	51.	बन्देली	53
8.	बिंजकोट	36	52.	नेतनगर	40
9.	बड़ेहरदी	70	53.	नावापारा "अ"	60
10.	बड़े मडार	51	54.	नावापारा "ब"	66
11.	चिखली	28	55.	नावापाली	53
12.	छोटे हरदी	58	56.	ओड़केरा	102
13.	छिछर उमरिया	144	57.	पवेडा	28
14.	छोटे मडार	28	58.	पुटकरपुरी	30
15.	छपोरा	41	59.	पुस्तदा	39
16.	छींच	25	60.	पडिगांव	128
17.	छात मुरा	39	61.	रनभाठा	72
18.	दरामुडा	28	62.	रुविदा	34
19.	देवलसुरा	49	63.	रेंगानपाली	61
20.	दूमरपाली	79	64.	सहदेव पाली	25
21.	एकतल	36	65.	सुरी	41
22.	गदर मरिया	112	66.	मोड़केला	65
23.	गोरी	55	67.	मुकुलभटली	50
24.	धुपुल	18	68.	सेमरा	11
25.	गोतमा	84	69.	सुया	52
26.	जकेना	54	70.	मिह	43
27.	जतरी	46	71.	तेली पाली	71
28.	झलमला	59	72.	तेतला	71
29.	झारमुडा	33	73.	तडोला	53
30.	कोढ़ाराई	48	74.	तिलगी	71
31.	केराना	85	75.	तरडा	37
32.	कौच ताल	29	76.	टपरदा	73
33.	कंवरीहा	31	77.	टिनमिनी	98
34.	केनतरा	32	78.	तुरंग	104
35.	कर्वाओर	79	79.	त्रिभीना	44
36.	पोसमंदा	43			
37.	कोतनर	42		योग	4559
38.	कोतमुना	103			
39.	कंदगढ़	53			
40.	कटानी	70			
41.	कोड़पाली	44			
42.	खोखरा	60			
43.	लोहासिंग	53			
44.	लिंजीर	31			

जनपद पंचायत बरमकेला

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राहियों की संख्या	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	मानिकपुर	52	45.	लिंजिर	24
2.	छेवारीपाल	34	46.	बुदेली	13
3.	साल्हेआना	68	47.	खोरिगांव	38
4.	बरगांव	54	48.	कराकोट	56
5.	बिलाईगढ़ अ	50	49.	कटंगपाली म	24
6.	कटंगपाली अ	32	50.	बेंगची	56
7.	बोन्दा	32	51.	कुम्हारी	42
8.	नौघटा	46	52.	सराईपाली	45
9.	पिहरा	59	53.	कमरीद	46
10.	भिखमपुरा	71	54.	हिर्दी	41
11.	लिप्ली	28	55.	कंठीपाली	69
12.	पंचधार	19	56.	रिसोरा	116
13.	महाराजपुर	10	57.	कपरतुंगा	22
14.	नदीगांव	21	58.	बिलाईगढ़ ब	47
15.	रानीडीह	64	59.	तौसीर	80
16.	भठली	52	60.	सेमीकोट	22
17.	पोरध	48	51.	बहलीडीह	13
18.	बोरिदा	96	52.	लेन्धरा	86
19.	सांक्रा	97	63.	अमोदा	35
20.	मारोदरहा	63	54.	करनपाली	43
21.	गोबरसिंहा	90	65.	बैगिनडीह	33
22.	सुखापाली	37	56.	सकरतुंगा	45
23.	कंडोला	42	57.	घनिगांव	48
24.	कांदुरपाली	24	58.	करपी	74
25.	कंचनपुर	23	69.	हट्टापाली	52
26.	लुक्कपारा	62	70.	जोगनीपाली	11
27.	बड़े आमाकोनी	43	71.	तरेकेला	105
28.	इभरा	62	72.	दुलोपाली	39
29.	लोधिवा	62	73.	झिंकीपाली	44
30.	गिरहूलपाली	53	74.	डोंगरीपाली	54
31.	बार	75	75.	पोधरा	60
32.	बरपाली	57	76.	सुम्हरिया	28
33.	जलगढ़	53	77.	झाल	11
34.	अमूरा	15	78.	जीरापाली	30
35.	चांटीपाली	92	79.	कोकबहाल	64
36.	झनकपुर	78	80.	गौरडीह	66
37.	सण्डा	10	81.	डूमरपाली	88
38.	देवगांव	136	82.	बिनीपाली	71
39.	बोईरडीह	75			
40.	अमेरी	98		योग	4305
41.	कोतरा	56			
42.	बोरे	100			
43.	खैरगढ़ी	105			
44.	बड़े नावापारा	20			

परिशिष्ट "दो "

| तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 386) के भाग (क) की जानकारी |

विधानसभा क्षेत्र-गुण्डरदेही

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत शामिल विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम जहां, नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुण्डरदेही	अनौद	अनौद
2.	गुण्डरदेही	अर्जुन्दा	अर्जुन्दा
3.	गुण्डरदेही	अर्जुनी	अर्जुनी
4.	गुण्डरदेही	अर्जुनी टिकरी	अर्जुनी टिकरी
5.	गुण्डरदेही	बरबसपुर	बरबसपुर
6.	गुण्डरदेही	बासीन	बासीन
7.	गुण्डरदेही	बेलोदी	बेलोदी
8.	गुण्डरदेही	भरदाखुर्द	भरदाखुर्द
9.	गुण्डरदेही	बीरितरा	बीरितरा
10.	गुण्डरदेही	भिलाई	भिलाई
11.	गुण्डरदेही	बोदल	बोदल
12.	गुण्डरदेही	बोरगहन	बोरगहन
13.	गुण्डरदेही	चंदनबिरही	चंदनबिरही
14.	गुण्डरदेही	चारभांठा	चारभांठा
15.	गुण्डरदेही	चीचा	चीचा
16.	गुण्डरदेही	चिचबोड़	चिचबोड़
17.	गुण्डरदेही	चिरचार	चिरचार
18.	गुण्डरदेही	नाहंदा	नाहंदा
19.	गुण्डरदेही	देवरी क	देवरी क
20.	गुण्डरदेही	देवरी ख	देवरी ख
21.	गुण्डरदेही	देवरी द	देवरी द
22.	गुण्डरदेही	डौकीडीह	डौकीडीह
23.	गुण्डरदेही	डौकीडीह	खप्परवाड़ा
24.	गुण्डरदेही	डुड़िया	डुड़िया
25.	गुण्डरदेही	डुण्डेरा	डुण्डेरा
26.	गुण्डरदेही	नवागांव	नवागांव
27.	गुण्डरदेही	गब्दी	गब्दी
28.	गुण्डरदेही	हल्दी	हल्दी
29.	गुण्डरदेही	जरवाय	जरवाय
30.	गुण्डरदेही	जेवरतला	जेवरतला
31.	गुण्डरदेही	बोहेन	बोहेन
32.	गुण्डरदेही	जोरातराई	जोरातराई
33.	गुण्डरदेही	कचान्दुर	कचान्दुर
34.	गुण्डरदेही	कजराबांधा	कजराबांधा
35.	गुण्डरदेही	कांदुल	कांदुल
36.	गुण्डरदेही	खलारी	खलारी
37.	गुण्डरदेही	खरा	खरा

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	गुण्डरदेही	खरसुल	खरसुल
39.	गुण्डरदेही	खुटेरीरंग	खुटेरीरंग
40.	गुण्डरदेही	रंगाकटेरा	रंगाकटेरा
41.	गुण्डरदेही	कोड़ेवा	कोड़ेवा
42.	गुण्डरदेही	कुरदी	कुरदी
43.	गुण्डरदेही	मचौद	मचौद
44.	गुण्डरदेही	माहुद बी	माहुद बी
45.	गुण्डरदेही	मटिया अ	मटिया अ
46.	गुण्डरदेही	मटिया ह	मटिया ह
47.	गुण्डरदेही	मोखा	मोखा
48.	गुण्डरदेही	परसदा मोखा	परसदा मोखा
49.	गुण्डरदेही	मोंगरी	मोंगरी
50.	गुण्डरदेही	सलोनी	सलोनी
51.	गुण्डरदेही	ओडरसकरी	ओडरसकरी
52.	गुण्डरदेही	पेरी	पेरी
53.	गुण्डरदेही	पांगरी	पांगरी
54.	गुण्डरदेही	पांगरी	सुखरी
55.	गुण्डरदेही	परसदाडंग	परसदाडंग
56.	गुण्डरदेही	पसौद	पसौद
57.	गुण्डरदेही	पेण्डी	पेण्डी
58.	गुण्डरदेही	रनचिरई	रनचिरई
59.	गुण्डरदेही	साजा	साजा
60.	गुण्डरदेही	सरेखा	सरेखा
61.	गुण्डरदेही	सिन्दी	सिन्दी
62.	गुण्डरदेही	सिरी	सिरी
63.	गुण्डरदेही	सिरसिदा	सिरसिदा
64.	गुण्डरदेही	सियनमरा	सियनमरा
65.	गुण्डरदेही	भुसरेंगा	भुसरेंगा
66.	गुण्डरदेही	तमोरा	तमोरा
67.	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही न. पं.	गुण्डरदेही न. पं.
68.	डोण्डीलोहारा	महाराजपुर	महाराजपुर
69.	डोण्डीलोहारा	पिनकापारा	पिनकापारा
70.	डोण्डीलोहारा	मुजगहन	मुजगहन
71.	डोण्डीलोहारा	चे. ब. नवागांव	चे. ब. नवागांव
72.	डोण्डीलोहारा	जेवरतला	जेवरतला
73.	डोण्डीलोहारा	रानीतराई	रानीतराई
74.	डोण्डीलोहारा	किसना	किसना
75.	डोण्डीलोहारा	रानीतराई कि	रानीतराई कि
76.	डोण्डीलोहारा	भरदा ट	भरदा ट
77.	डोण्डीलोहारा	हल्दी	हल्दी
78.	डोण्डीलोहारा	टटेगा	टटेगा
79.	डोण्डीलोहारा	नाहंदा	नाहंदा
80.	डोण्डीलोहारा	पीपरखार	पीपरखार
81.	डोण्डीलोहारा	पीपरखार	खपराभाट
82.	डोण्डीलोहारा	पीपरखार	बहेराभाट
83.	डोण्डीलोहारा	सम्बलपुर क	सम्बलपुर क

(1)	(2)	(3)	(4)
84.	डोण्डीलोहारा	खामतराई	खामतराई
85.	डोण्डीलोहारा	कुआंगांव	कुआंगांव
86.	डोण्डीलोहारा	राधो नवागांव	राधो नवागांव
87.	डोण्डीलोहारा	राधो नवागांव	रावीगहन
88.	डोण्डीलोहारा	गहिरा नवागांव	गहिरा नवागांव
89.	डोण्डीलोहारा	मारी	मारी
90.	डोण्डीलोहारा	देवरी	देवरी
91.	डोण्डीलोहारा	सुरमुली	सुरमुली
92.	डोण्डीलोहारा	सिंगारपुर	सिंगारपुर
93.	डोण्डीलोहारा	केंवट नवागांव	केंवट नवागांव
94.	डोण्डीलोहारा	सुरेगांव	सुरेगांव
95.	डोण्डीलोहारा	झिटिया	झिटिया
96.	डोण्डीलोहारा	परसाडीह	परसाडीह
97.	डोण्डीलोहारा	फरदकोइ	फरदकोइ
98.	डोण्डीलोहारा	पसौद	पसौद
99.	डोण्डीलोहारा	परमुली	परमुली
100.	डोण्डीलोहारा	मुडिया	मुडिया
101.	डोण्डीलोहारा	मुडिया	हथीद
102.	डोण्डीलोहारा	धीना	धीना
103.	डोण्डीलोहारा	कसहीकला	कसहीकला
104.	डोण्डीलोहारा	पापरा	पापरा
105.	डोण्डीलोहारा	बुंदेली	बुंदेली
106.	डोण्डीलोहारा	मुडखुमरा	मुडखुमरा
107.	डोण्डीलोहारा	भीमकन्हार	भीमकन्हार

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 309) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जेल का नाम	दिनांक	जप्त गैर-कानूनी वस्तु का नाम	बंदी का नाम जिसके पास से गैरकानूनी वस्तु प्राप्त हुई	प्रकरण में की गई कार्यवाही एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वर्ष 2009

केन्द्रीय जेल दुर्ग

1.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	06-01-09	रुपये 219/-	बंदी गांधी शर्मा आ. बी. पी. शर्मा.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
2.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	10-01-09	रुपये 200/-	बंदी जयराम आ. विरो दुर्गा.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
3.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	15-01-09	रुपये 80/-	बंदी बली उर्फ विरेन्द्र आ. मुन्ना सिंधी.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
4.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	27-01-09	रुपये 500/-	बंदी पन्ना निषाद आ. पुसऊ राम.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
5.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	07-02-09	रुपये 60/-	बंदी कमल कुमार आ. टेटकूराम.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
6.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	07-02-09	रुपये 50/-	बंदी महेश आ. चुन्ना सिंह.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
7.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	11-02-09	रुपये 50/-	बंदी नरेश आ. सीताराम.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
8.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	19-02-09	रुपये 100/-	बंदी गुलाब उर्फ नाटा आ. कालीचरण.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
9.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	04-04-09	गांजा 50 ग्राम	पेशी से वापसी में बंदी गयासुद्दीन आ. जहीर खान की तलाशी में.	इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं बंदी को 10 दिवस पृथक कक्ष की सजा दी गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	06-04-09	गांजा 18 ग्राम	पेशी से वापसी में बंदी रविप्रकाश आ. बलकार सिंह की तलाशी में.	इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं बंदी रविप्रकाश आ. बलकार सिंह को 10 दिवस पृथक कक्ष की सजा दी गई.
11.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	13-04-09	रुपये 100/-	बंदी राजेश उर्फ फौजी आ. हरिकिशन.	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
12.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	16-04-09	रुपये 150/-	बंदी रंजीत आ. रतन	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
13.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	23-04-09	गांजा 10 ग्राम	पेशी से वापसी में बंदी मुरली आ. बाला की तलाशी में.	इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं बंदी मुरली आ. बाला को 10 दिवस पृथक कक्ष की सजा दी गई.
14.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	23-04-09	गांजा 10 ग्राम	पेशी से वापसी में बंदी छोटू उर्फ टीपू सुल्तान आ. सफी खान की तलाशी में.	इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं बंदी छोटू उर्फ टीपू सुल्तान आ. सफी खान को 10 दिवस पृथक कक्ष की सजा दी गई.
15.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	06-05-09	रुपये 200/-	बंदी संजय आ. गुलाब सिंह	राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा किया गया तथा बंदी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई.
16.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	28-05-09	01 पुड़िया गांजा	पेशी से वापसी में बंदी शैलेन्द्र आ. प्रकाश की तलाशी में.	इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं बंदी शैलेन्द्र आ. प्रकाश को 10 दिवस पृथक कक्ष की सजा दी गई.
केन्द्रीय जेल बिलासपुर					
17.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	12-05-09	03 नग नशीली गोली	दंडित बंदी मनहरण आ. मध्यान पुरी से.	अवैध वस्तु को नियमानुसार नष्ट किया गया तथा दंडित बंदी मनहरण आ. मध्यान पुरी को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी .
केन्द्रीय जेल रायपुर					
18.	केन्द्रीय जेल रायपुर	21-06-09	04 नग रिलायंस का सिम	संख्या 5 बजे अपर अष्टकोण के बैरक नं. 2 एवं 3 में तलाशी के दौरान दण्डित बंदी सुनील उर्फ काले आ. रामसिंह, बंदी भोल्ल उर्फ महेश आ. जागेश्वर, बंदी बादल उर्फ सोधन आ. शिवप्रसाद से जब्त किया गया.	पुलिस अधीक्षक रायपुर छ. ग. को सिम को जांच करने एवं अन्वेषण हेतु भेजा गया तथा बंदियों को गुनाखाना में रखा गया.
केन्द्रीय जेल बगदलपुर		-	निरंक		
केन्द्रीय जेल अंबिकापुर		-	निरंक		

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 331) के भाग (क) की जानकारी]

(क) MRI मशीन बंद की जानकारी :-

क्रमांक (1)	कब से कब तक (2)	कितने दिन (3)	कारण (4)
1.	दिनांक 18-07-2008 से दिनांक 29-07-2008.	12 दिन	MRIR Tower की खराबी
2.	दिनांक 28-10-2008 से 31-10-2008	4 दिन	UPS in by pass mode
3.	दिनांक 17-3-2009 से 29-03-2009	13 दिन	Power Suply failure
4.	दिनांक 09-04-2009 से 15-05-2009	1 माह 7 दिन	Due to UPS Batteries Problem
5.	दिनांक 18-06-2009 से 02-07-2009	15 दिन	Due to AC Problem

(ख) CT Scan मशीन बंद की जानकारी :-

क्रमांक (1)	कब से कब तक (2)	कितने दिन (3)	कारण (4)
1.	दिनांक 07-05-2008 से दिनांक 16-05-2008.	10 दिन	Power box not Functioning
2.	दिनांक 29-08-2008 से 11-09-2008	14 दिन	Tower Problem
3.	दिनांक 05-05-2009 से 06-05-2009	2 दिन	Hard disc mal Functioning
4.	दिनांक 14-05-2009 से 15-05-2009	2 दिन	System Communication Problem.
5.	दिनांक 14-06-2009	01 दिन	Error of IRS Communication Failure.
6.	दिनांक 20-06-2009 से 21-06-2009	02 दिन	Machine not used due to failure of AC.

(ग) उपरोक्त दोनों मशीनों की संबंधित कंपनी से C-AMC कराई गई है, जिसके अंतर्गत कंपनी के इंजीनियर द्वारा सुधार कार्य किया जाता है. MRI के ए. सी. का विगत तीन वर्षों से प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा किया जा रहा है. सन् 2004 से प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा किया जा रहा था वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद अब ए. सी. का रखरखाव चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा.

(घ) केंद्रिका "क" के उपकरणों की खराबी के दौरान मरीजों की जीव की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि विभाग में अन्य MRI तथा CT Scan मशीन नहीं है.

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 365) के भाग (क) की जानकारी]

जिला रायगढ़ में घटित अपराधों की बानेवार जानकारी

अवधि-1 जनवरी 2008 से 1 जुलाई 2009

क्रमांक (1)	थाना (2)	अपराध शीर्ष						
		लूट (3)	डकैती (4)	धोरी (5)	अपहरण (6)	बलात्कार (7)	हत्या (8)	योग (9)
1.	कोतवाली	12	1	166	0	5	9	193
2.	चक्रधरनगर	7	0	116	3	6	6	138
3.	कोतरारोड	2	0	79	1	2	2	86
4.	पुसौर	2	0	20	0	2	4	28
5.	सांगढ़	0	0	39	0	4	8	51
6.	बरमकेला	0	0	5	0	1	5	11
7.	सरिया	1	0	23	2	2	0	28
8.	खरसिया	4	0	96	1	3	10	114
9.	छाल	1	0	25	0	1	6	33
10.	तमनार	1	0	59	1	2	10	73
11.	धरमजयगढ़	7	0	44	1	7	14	73
12.	धरघोड़ा	4	0	37	0	1	9	51
13.	लैलूंगा	2	0	11	2	2	13	30
14.	कापू	0	1	15	2	4	10	32
15.	पूंजीपधरा	1	1	26	1	1	5	35
16.	भूपदेवपुर	4	1	21	1	1	5	33
17.	कोसिर	0	0	5	1	1	3	10
18.	अजाक	0	0	0	0	4	0	4
योग		48	4	787	16	49	119	1023

जिला जशपुर में घटित अपराधों की बानेवार जानकारी

क्रमांक (1)	थाना (2)	लूट (3)	डकैती (4)	चोरी (5)	अपहरण (6)	बलात्कार (7)	हत्या (8)	योग (9)
1.	जशपुर	17	4	35	22	24	20	122
2.	कुनकुरी	2	0	14	4	3	4	27
3.	पत्थलगांव	0	0	44	4	12	4	64
4.	बगीचा	1	1	15	9	15	11	52
5.	कांसाबेल	2	0	16	3	13	5	39
6.	फरसाबहार	1	0	5	3	4	7	20
7.	बागबहार	1	1	13	4	6	9	34
8.	तपकना	0	0	10	1	2	5	18
9.	सन्ना	7	1	10	0	8	9	35
10.	आस्ता	2	0	2	1	3	2	10
11.	दुलदुला	2	0	6	6	10	4	28
12.	नारायणपुर	3	0	12	2	4	8	29
	योग	38	7	182	59	104	88	478

परिशिष्ट "छः"
[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 252) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	स्वीकृत पदनाम (2)	स्वीकृत संख्या (3)	कार्यरत संख्या (4)	रिक्त संख्या (5)
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
2.	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	1
3.	विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	1
4.	विशेषज्ञ स्त्री रोग	1	0	1
5.	विशेषज्ञ शिशु रोग	1	0	1
6.	पी. जी. एम. ओ. निश्चेतना	1	0	1
7.	नर्सिंग सिस्टर	1	0	1
8.	बी. ई. टी. ओ.	1	0	1
9.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1	1	0
10.	कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	0	1
11.	सहायक ग्रेड-3	1	1	0
12.	स्टॉफ नर्स	3	0	3
13.	एल. व्ही. व्ही.	2	0	2
14.	पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	0	1
15.	एन. एम. एस.	1	0	1
16.	एम. पी. डब्ल्यू (पुरुष)	1	0	1
17.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2/स्टोर कीपर	1	1	0
18.	रेडियोग्राफर	1	0	1
19.	नेत्र सहायक अधिकारी	1	1	0
20.	ड्रेसर ग्रेड-2	1	1	0
21.	वाहन चालक	2	0	2
22.	वार्ड ब्याय	1	1	0
23.	चतुर्थ श्रेणी	2	2	0
24.	घोबी	1	1	0
25.	चौकीदार	1	1	0
	योग	30	10	20

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 41) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जानकारी

आयुर्वेद चिकित्सालय

क्र. (1)	जिला (2)	संख्या (3)	चिकित्सालय का नाम (4)	बेड संख्या (5)
1.	रायपुर	1	शास. आयु. महा. चिकित्सालय, रायपुर	150
2.	दुर्ग	2	30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, दुर्ग	30
			30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, दल्लीराजहरण	30
3.	बिलासपुर	1	30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, बिलासपुर	30
4.	सरगुजा	1	30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, अंबिकापुर	30
5.	रायगढ़	1	30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, रायगढ़	30
6.	जगतपुर	1	30 शय्या आयुर्वेद चिकित्सालय, जगतपुर	30
	योग	7		330

आयुर्वेद औषधालय

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	औषधालयों की संख्या (3)
1.	रायपुर	89
2.	दुर्ग	102
3.	राजनांदगांव	41
4.	महासमुंद	31
5.	कवर्धा	18
6.	धमतरी	29
7.	कांकेर	16
8.	जगतपुर	47
9.	दन्तेवाड़ा	36
10.	जांजगीर-चांपा	54
11.	बिलासपुर	66
12.	रायगढ़	23
13.	सरगुजा	28
14.	कोरना	26
15.	जशपुर	13
16.	कोरिया	15
	योग	634

शासकीय आनुवंशिक औषधालयों की सूची कुल संख्या-634

1. जिला-रायपुर

1. शंकर नगर
2. मंत्रालय
3. विधान सभा
4. राजभवन
5. उरला
6. माना
7. नगरगांव
8. सोण्डरा
9. कुंरा
10. बरीदा
11. तेंदआ
12. नेवरा
13. सरोरा
14. खौना
15. खैरखूंट
16. गुल्डू
17. नारा
18. अमसेना
19. कोरासी
20. चंदखुरी
21. छटेरा
22. टीला
23. सारखी
24. खोल्पा
25. टेकारी जुलूम
26. दान
27. दतरेंगी
28. छेरकापुर
29. तेल्लासी
30. परसाडीह
31. पयनी
32. ओड़काकन
33. गिरौदपुरी
34. खमहरिया
35. गुरा
36. सिंगारपुर
37. रावन
38. दामाखेड़ा
39. गोहराफदर
40. कुल्हाड़ीपाट
41. गरियाबंद
42. खड़मा
43. अतरमरा
44. कोपरा बेलर
45. पसौद
46. निलजा
47. कुम्हारी

48. कुकेरा
49. अकोली
50. तरपोंगी
51. कनकी
52. रीवा
53. समोदा
54. गनौद
55. मंदलो
56. जारा
57. मोपका
58. हथबंद
59. खोखसरा
60. टोहड़ा
61. छतौद
62. गोड़ी
63. सिंघनी पुसेरा
64. देवसुंदरा
65. सलिहा
66. कसडोल
67. आमाखोहा
68. धरगांव
69. टुण्डा
70. अर्जुनी (कसडोल)
71. रिक्केकला
72. सिरवाडीह
73. डमरू
74. निगमिया
75. बिटकुली
76. मोहरा
77. भाटीगढ़
78. उरमाल
79. अकलवा
80. रानीपरतेवा
81. परसवा जोशी
82. धमनी
83. बासीन
84. लोहसी
85. टण्डवा
86. मंदिर हसौद
87. जरीदा
88. टेकारी कुण्डा
89. कोसरंगी

2. जिला - दुर्ग

1. खोपली
2. डुण्डेरा (उतई)
3. धनौद
4. अण्डा
5. सिरमाखुई

6. डौंटी
7. बेलोदा
8. कुकुमकसा
9. भीमकन्हार
10. भरदा टटेगा
11. राधोनवागांव
12. भंडेरा
13. कसाही
14. फरदकोड़
15. बंजारी
16. कोबा
17. अरजपुरी
18. दुधली
19. बेलमांड
20. अरमरीकला
21. कंवर
22. नांदपाट
23. बदनारा
24. छिरहा
25. मऊ
26. जेवरा
27. भांठागांव
28. हन्दी
29. सिब्दी
30. गब्दी
31. सेलूट
32. तरा
33. बोरिद
34. पहडोर
35. गोड़ी
36. हिरा
37. पेन्डावन
38. कुम्हारी
39. बागांव
40. टकसीवा
41. गोड़गिरी
42. बोरतरा
43. देवकर
44. बोरई
45. खेरधा
46. मुजगहन
47. हड़गहन
48. सुरेगांव
49. लाटाबोड़
50. करहीभदर
51. नेवारीकला
52. अरकार
53. खेड़ा
54. धनीरा
55. दादी

56. पेड़ुतराई
57. सिक्केसा
58. कमरौद
59. चौरल
60. डुण्डेरा (नवीन)
61. भिलाई ग्राम
62. भंसूली
63. तेलीगुण्डा
64. भिलाई-3
65. झोट
66. भरर
67. औंधी
68. चीचा
69. बोरी
70. कुसमी
71. आनंदगांव
72. बेलतरा
73. कूरा
74. सुरडोंगर
75. दल्लीराजहरा
76. कोड़ेकसा
77. बड़गांव
78. रेंगाडबरी
79. विनकापार
80. बिरेतरा
81. निपानी
82. बड़भूम
83. मोहरेंगा
84. सिरी
85. खुडमुड़ी
86. बटेल
87. रानीतराई
88. धमधा
89. गुपेली
90. कन्हेरा
91. खातीग्राम
92. खैरझिटीकला
93. भिंभीरी
94. परपोड़ी
95. चिपरा
96. पुरसेना
97. देकरबीजा
98. नगपुरा
99. घोटिया
100. मर्त
101. बटंग
102. घोटवानी

3. बिला-राजनांदागांव

1. सुरगी
2. भैसातरा
3. पदुमतरा
4. सुकुलदैहान
5. बिल्हारी
6. बेलगांव
7. बोरतलाब
8. कनेरी
9. अर्जुनी
10. तुमड़ीबोड़
11. आसरा
12. सम्बलपुर
13. बांधाबाजार
14. सलोनी
15. मुड़ीपार
16. देवरी
17. गांतापार लछना
18. धोधा
19. रामपुर चि.
20. मेड़ा
21. खुज्जी
22. बेलरगोदी
23. सड़क चिरचारी
24. आमाटोला
25. माहुदमचांदुर
26. कुम्हली
27. अतरिया बाजार
28. ईटार
29. विचारपुर
30. रामपुर एस.
31. बपेरा
32. मोहारा
33. चिरचारीकला
34. महरूम
35. गैदाटोला
36. गांतापारकला
37. पांडादाह
38. साल्हेबारा
39. अतरिया रोड
40. बुन्देली
41. मोहदी

4. बिला- महासमुंद

1. रायतुम
2. भोरिंग
3. खट्टी
4. सोरमसिंधी
5. खल्लारी
6. बम्हनी
7. पेण्ड्रावन
8. भवंपुर

9. पेकिन
10. गेरां
11. मलदामाल
12. तुमगांव
13. सिरपुर
14. पटेवा
15. परसदा
16. तमोरा
17. घोंच
18. अनसुला
19. बुन्देली
20. कोलिहा देवरी
21. तोरेसिंहा
22. तोषगांव
23. डूमरपाली
24. देवरीकोमा
25. मुनगासेर
26. बकमा
27. बड़े साजापाली
28. बिछिया
29. गढ़कुलझर
30. केन्दुआ
31. परसवानी

5. बिला- कवर्धा

1. पोण्डी
2. चिल्फी
3. वीरिन्द्र नगर
4. दुल्लापुर
5. दशरंगपुर
6. मरका
7. का. पिपरिया
8. रबेली
9. चचेड़ी
10. मड़मड़ा
11. भाटकुण्डेरा
12. सुरजपुरा
13. जुनवानी
14. सिंघनगढ़
15. रणवीरपुर
16. बापामुड़ा
17. मोहगांव
18. कुण्डा

6. बिला- धमतरी

1. खरेगा
2. खरतुली
3. डाही
4. कोडेगांव
5. अरौद

6. भखारा
7. सकरी
8. मंदरीद
9. बारना
10. सिवनीकला
11. आमदी
12. छाती
13. कुरां
14. अकलाडोंगरी
15. दुगली
16. गट्टासिल्ली
17. परसापानी
18. घुटकेल
19. फरसियां
20. उमरगांव
21. सिलौटी
22. कोरां
23. बोरसी
24. मारागांव
25. सिंगपुर
26. खिसोरा
27. कातलबोड़
28. दरां
29. भोधिडीह

7. बिला- कांकेर

1. दबेना
2. लखनपुरी
3. परसोदा
4. संबलपुर
5. तरहूल
6. बरहेली
7. नरहरपुर
8. पुरी
9. भैसाकन्हार
10. भानवेड़ा
11. कच्चे
12. केवटी
13. कोदापाखा
14. पनावर
15. जामगांव
16. हाटकोदल

8. बिला- बगदलपुर

1. इच्छापुर
2. मूली
3. करंजी
4. मटकोट

5. कोपरा
6. धौड़ाई
7. आमेर
8. कुम्हली
9. नेतानार
10. सोनारपाल
11. सोरगांव
12. कुंगारपाल
13. बजावण्ड
14. करपावण्ड
15. डिमरापाल
16. राबूर
17. डिलमिली
18. चन्द्रगिरी
19. चिंगपाल
20. कुम्हासाडा
21. तुरांगूर
22. दहीकोंगा
23. बड़ेकनेरा
24. कड़ेनार
25. बोरगांव
26. बीजापुर
27. हीरपुर
28. रांधना
29. कोरगांव
30. अडेगा
31. सिंघनपुर
32. बेनुर
33. सोनपुर
34. फरसगांव
35. गारपा
36. हरांकोडे
37. उलनार
38. कूकानार
39. मुनगापदर
40. बम्हनी
41. बांसकोट
42. मारडूम
43. गढ़बेगाल
44. गिरोला
45. लबोड़ा
46. जैतगिरी
47. स्वामपुर

9. बिला- दंतेवाड़ा

1. समेली
2. भेजी
3. कुन्ना
4. नैमेड़

5. मेंढ़ा
6. मोलसनार
7. पोंदुम
8. भांसी
9. टेकनार
10. कुपेर
11. मोखपाल
12. अरनपुर
13. मैलावाड़ा
14. कुम्हाररास
15. चिंतलनार
16. चिंतागुफा
17. एरांबोर
18. सामसेट्टी
19. किस्टाराम
20. कोड़े
21. तालनार
22. गंगालूर
23. पोलमपल्ली
24. बासागुड़ा
25. आवापल्ली
26. तुमनार
27. संकनपल्ली
28. नेलसनार
29. तारलागुड़ा
30. पुजारी कांकेर
31. तोंगपाल
32. रंजे
33. फरसपाल
34. छिंदनार
35. फरसेगढ़
36. धनीरा

10. जिला- बांजगीर-चांपा

1. जर्वे
2. सुलोनी
3. छपोरा
4. किरारी (ड)
5. कटेकोनी
6. बिरा
7. बांजगीर
8. गोधना
9. केरा
10. भठली
11. खटोला
12. कोटमीसोनार
13. मुलमुला
14. कमरीद

15. जाजंग
16. अमलडीहा
17. जुडगा
18. बरपालीकला
19. खैरा
20. ओडेकेरा
21. हसौद
22. किकिरदा
23. ठठारी
24. अकलतरा
25. सकर्ता
26. नरियरा (मा.)
27. कौसा
28. सपोस
29. सकराली
30. देवरपटा
31. झरना
32. पोड़ीशंकर
33. लखाली
34. धाराशिव
35. धुरकोट
36. कनस्टा
37. नवागढ़
38. खिसोरा
39. बुडगहन
40. पंचगांवां
41. नरियरा (अ)
42. चंगोरी
43. तरौद
44. कटपरी
45. बुंदेला
46. राहौद
47. कांसा
48. खरौद
49. महुदा
50. पंतौरा
51. हरदी
52. मेंऊ
53. कंचदा
54. सिंपरा

11. जिला- विलासपुर

1. जूनी लाईन
2. तारबहार
3. नगोई
4. धुमा
5. सिंपरी
6. लखाराम
7. खम्हीरिया

8. गतौरा
9. सीपत
10. पंथी
11. लोहर्सी
12. सिलदहा
13. करगीखुर्द
14. पुडु
15. बेलगाहना
16. निमधा
17. पेण्ड्रा
18. कोटमी
19. अमारू
20. नवागांवां
21. पुरान
22. कन्तेली
23. फंदवानी
24. कोरजा
25. डाहीबाहरा
26. जोगीसार
27. लालपुर
28. गौरिला
29. बस्तीबागरा
30. सकर्ता
31. सैदा
32. भरनी
33. सांवाताल
34. गनियारी
35. घुटकू
36. काठाकोनी
37. बहतलाई
38. सेमरसल
39. कोदवा महंत
40. खपरीकला
41. पैजनिया
42. दगौरी
43. बेलतरा
44. बोइसर
45. पौसर
46. मानिकचौरी
47. धुर्वाकारी
48. ओखर
49. जेवरा
50. पड़ियाईन
51. अण्डा
52. भटगांवां
53. केन्दा
54. उषाढ़
55. सेमरदरी
56. चकरभाठा
57. बरहागांवां

58. पण्डरभठा
59. देवरहठ
60. बघमार
61. डिंडोरी
62. अखरार
63. पोड़ी हरदी
64. सेवार
65. भरारी
66. सिलतरा

12. जिला-रायगढ़

1. रायगढ़
2. लेन्धा
3. सरिया
4. खड़गांवां
5. कुडेकेला
6. महापल्ली
7. तारापुर
8. जतरी
9. रंगालपाली
10. उत्खर
11. भेड़वन
12. माधोपाली
13. सांकरा
14. गुरा
15. बर्रा
16. गोरपार
17. हमीरपुर
18. उरबा
19. कीन्दा
20. तरकेला
21. पटेलपाली
22. बुनगा
23. समकेरा

13. जिला- सरगुजा

1. सरगुजा
2. दरिमा
3. उदारी
4. धौरपुर
5. लमगांवां
6. गेरसा
7. जयनगर
8. कल्वाणपुर
9. बिहारपुरचांदनी
10. कृष्णपुर
11. बेड़ा
12. रतहत

13. रामानुजगंज
14. बुलगांव
15. लुण्डा
16. राजपुर
17. भुसू
18. गंगोटी
19. उदयपुर
20. धरमपुर
21. नीलकण्ठपुर
22. सामरी
23. सलवाही
24. महाराजगंज
25. बसंतपुर
26. बलंगी
27. सनावल
28. बतौली

14. जिला- कोरबा

1. पाडीमार
2. बरपाली
3. उरगा
4. चैतमा
5. सुखरीकला
6. छुरीकला
7. भिलाई बाजार
8. नोनबिरा
9. राजगामार
10. कनकी
11. गोड़ी
12. पटियापाली
13. भैसमा
14. बड़गांव
15. तुमान
16. बेहरचुआ
17. पिपारिया
18. तिवरता
19. परसदा
20. बोईदा
21. उमरेली
22. सोहाणपुर
23. जवाली
24. कटघोरा
25. कोरबी
26. मदनपुर

15. जिला- बरगपुर

1. बरगपुर
2. सराईपानी
3. मुलेसा
4. तुमला
5. अंकिरा
6. इचकेला
7. लोखण्डी
8. नारायणपुर
9. बंदरचुआ
10. रनपुर
11. करडेगा
12. बटईकेला
13. रौनी

16. जिला- कोरिया

1. बैकुंठपुर
2. मनसुख
3. सरभोखा
4. उमशर
5. कटगोडी
6. नागपुर
7. केल्हारी
8. कुवांरपुर
9. पुटरा
10. कछोड़
11. कमर्जी
12. नवगई
13. बड़गांवकला
14. नगर
15. कोटाडोल

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिले का नाम	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी			महा. आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी		
		स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दुर्ग	102	76	26	8	3	5
2.	मरगुजा	114	24	90	2	2	0
3.	दन्तेवाड़ा	75	31	44	0	0	0
4.	जांजगीर-बाँपा	54	50	4	2	0	2
5.	राजनांदगांव	41	29	12	1	1	0
6.	धमतरी	28	9	19	3	2	1
7.	कांकेर	42	13	29	0	0	0
8.	जगदलपुर	110	35	75	4	2	2
9.	बिलासपुर	69	61	8	4	2	2
10.	रायगढ़	68	22	46	3	0	3
11.	कोरिया	34	14	20	2	0	2
12.	जशपुर	43	12	31	0	0	0
13.	कोरबा	56	24	32	1	0	1
14.	रायपुर	86	63	23	5	2	3
15.	महाममुद	32	18	14	1	1	0
16.	कबीरधाम	19	14	5	1	1	0
17.	महा. चिकित्सालय	3	3	0	0	0	0
18.	फार्मसी	3	3	0	0	0	0
	योग	979	501	478	37	16	21

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 46) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला महासमुंद में थानावार घटित अपराधों की जानकारी

अवधि-1 जनवरी 2008 से 31 मई 2009 तक

क्रमांक (1)	थाना (2)	हत्या (3)	दहेज (4)	बलात्कार (5)	डकैती (6)	लूट (7)	थोरी (8)	जाली नोट (9)
1.	महासमुंद	5	5	4	0	1	61	3
2.	तुमगांव	2	1	4	0	1	25	0
3.	बागबहरा	3	0	7	0	2	24	0
4.	पिथौरा	4	8	7	1	2	25	0
5.	सांकरा	0	3	1	0	0	7	0
6.	बसना	6	10	8	0	2	40	0
7.	सरायपाली	4	6	5	0	2	41	0
	योग	24	33	36	1	10	223	3

प्रपत्र "ब"

अवधि-1 जनवरी 2008 से 31 मई 2009 तक

क्रमांक	थाने का नाम	प्रकरणों की संख्या जिनमें अपराधी पकड़े गये	प्रकरणों की संख्या जिनमें चालान न्यायालय पेश किया गया	प्रकरणों की संख्या जिनमें दिनांक 31-05-09 तक अपराधी नहीं पकड़े गये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महासमुंद	40	38	39
2.	तुमगांव	20	20	13
3.	बागबहरा	21	21	15
4.	पिथौरा	22	18	25
5.	सांकरा	8	7	3
6.	बसना	44	40	22
7.	सरायपाली	33	33	25
	बोग	188	177	142

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 374) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वेदान्त मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन के साथ एम. ओ. यू. की शर्तें :-

- (1) उपरोक्त कैंसर अस्पताल बनाने के लिये राज्य शासन के द्वारा 41 एकड़ भूमि 30 वर्षों की लीज पर VMRF को प्रदान की जायेगी एवं VMRF एक विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल 300 करोड़ रुपये की लागत से 3 वर्ष में बनाकर देगा. इसके लिये आवश्यक स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जायेगी, क्योंकि सरकार इस परियोजना को समय-सीमा में पूर्ण करना चाहती है.
- (2) इस भूमि पर VMRF का मालिकाना हक नहीं होगा एवं इसका उपयोग पूरी तरह से कैंसर अस्पताल के बनाने एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ही किया जायेगा. अगर VMRF इस M.O.U. के उद्देश्यों के अलावा कोई भी अन्य कार्य इस भूमि पर करना चाहता है तो उसे राज्य शासन की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी.
- (3) VMRF के द्वारा कैंसर के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा देने का भी कार्य किया जायेगा एवं कैंसर की उचित स्क्रीनिंग एवं जांच की व्यवस्था की जायेगी.
- (4) राज्य शासन के द्वारा वित्त विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग की सहमति से VMRF के अलाभकर स्वरूप को देखते हुये कुछ करों से छूट दी जा सकती है, परंतु अगर VMRF एक वाणिज्यिक संस्थान में बदल जाता है, तो ऐसी छूट तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगी.
- (5) बिजली, पानी एवं म्यूनििसिपल के द्वारा जो सामान्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, वह उचित दर पर प्रदान की जायेगी, जो सामाजिक संस्थाओं एवं कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदान की जाती है और इस पर भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की पूर्व सहमति ली जायेगी. इसके अलावा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की भावना के अनुरूप VMRF के प्रशासन में राज्य शासन की भी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि शासन के द्वारा इस कार्य हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है. अतः अस्पताल प्रबंधन में शासन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी एवं शासन के प्रतिनिधि अस्पताल प्रबंधन में आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जाएंगे. VMRF के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों, पेशनभोगियों को भी उपचार की सुविधाएं प्रदान की जायेगी, जैसे कि रायपुर स्थित कैंसर अस्पताल के द्वारा प्रदान की जा रही है. इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को यह अधिकार होगा कि वे निश्चित संख्या में, कैंसर रोगियों को इस अस्पताल में मुफ्त ईलाज हेतु भेज सके. इन रोगियों की संख्या VMRF तथा राज्य सरकार की सहमति से तय की जायेगी.
- (6) VMRF कैंसर अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर-मेडिकल शिक्षा, HOD रेडियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज, को सचिव-स्वास्थ्य के अलावा सम्मिलित किया जायेगा. ये इस संस्थान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राज्य शासन के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होंगे, जिनके हाथ में निर्णायक शक्तियां प्रदान की जायेगी, ताकि नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य की अनदेखी न की जा सके.
- (7) VMRF के द्वारा प्रतिवर्ष विधिवत् लेखे तैयार किये जाएंगे एवं इसकी प्रति राज्य शासन को भी दी जायेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि VMRF के सेक्शन-25 भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कार्य कर रहा है अथवा नहीं. इसके अलावा प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रशासनिक अंकेक्षण भी कराया जायेगा, ताकि M. O. U. की शर्तों का अनुपालन निश्चित किया जा सके.
- (8) राज्य शासन समय-समय पर आय की वह सीमा तय करेगी, जिस सीमा के नीचे के रोगियों को मुफ्त कैंसर अस्पताल की सुविधा VMRF के द्वारा प्रदाय की जायेगी. इस हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर VMRF तथा राज्य शासन के संयुक्त वार्तालाप से यह राशि निश्चित की जायेगी. इसके अलावा दवाओं Consumable एवं Disposables की राशि में भी 50 प्रतिशत की छूट संस्थान के द्वारा प्रदान की जायेगी.
- (9) अगर इस M. O. U. के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे मुख्य सचिव-छत्तीसगढ़ शासन को समाधान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा. अगर इस समाधान से संबंध कोई पक्ष असंतुष्ट है, तब नियमानुसार Arbitration and Conciliation Act, 1996 के तहत कार्यवाहियों की जाएंगी. Arbitration का स्थान रायपुर-छत्तीसगढ़ होगा.
- (10) अगर इस परियोजना में कोई भी विलम्ब होता है, जिसके लिए प्राकृतिक शक्तियां जिम्मेदार नहीं हैं, तो VMRF इसके लिए उत्तरदायी होगा, परंतु प्राकृतिक शक्तियों के कारण अगर परियोजना में विलम्ब होता है तो उसके लिए VMRF जिम्मेदार नहीं होगा.
- (11) अगर प्रोजेक्ट की सीमा के भीतर संबंधित अस्पताल VMRF के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है तो राज्य शासन को अधिकार होगा कि वह इस M. O. U. को निरस्त कर सकेगी एवं VMRF को दी गई भूमि के लीज को भी निरस्त कर सकेगी.
- (12) राज्य शासन द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में इस कार्य के लिए रखा जायेगा कि समय-सीमा में इस कार्य को किया जा सकेगा.

प्रपत्र "ब"

डायरेक्टर की सूची दिनांक 03-02-2009 की स्थिति में :-

1. श्री अनिल अग्रवाल
चेयरमेन, वेदान्त,
75, नेहरू रोड,
वाइल पारले (ईस्ट)
मुम्बई 400 099
2. श्री नवीन अग्रवाल
वाइस चेयरमेन, वेदान्त,
75, नेहरू रोड,
वाइल पारले (ईस्ट)
मुम्बई 400 099
3. श्री तरुण जैन
डायरेक्टर, वेदान्त,
75, नेहरू रोड,
वाइल पारले (ईस्ट)
मुम्बई 400 099
4. श्री प्रमोद सूरी
सी. ई. ओ. (एल्यूमिनियम आप्पेशंस)
एण्ड होल-टाइम डायरेक्टर,
भारत एल्यूमिनियम कंपनी
लिमिटेड, बालकोनगर,
कोरबा (छ. ग.) 495 684
5. श्री गुंजन गुप्ता
सी. ई. ओ.
एण्ड होल-टाइम डायरेक्टर,
भारत एल्यूमिनियम कंपनी,
लिमिटेड, बालकोनगर,
कोरबा (छ. ग.) 495 684
6. सुश्री अजिता बाजपेयी पाण्डे
(आई. ए. एस.)
डायरेक्टर (गवर्नमेंट नॉमिनी)
संयुक्त सचिव, खनिज मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. श्री संजीव कुमार मित्तल,
(आई. ए. एस.)
डायरेक्टर (गवर्नमेंट नॉमिनी)
संयुक्त सचिव, एवं वित्तीय सलाहकार
खनिज मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. श्री जी श्रीनिवास,
(आई. ए. एस.)
डायरेक्टर (गवर्नमेंट नॉमिनी)
खनिज मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 355) के भाग (क) की जानकारी]

जिला कोरिया में पुलिस विभाग के स्वीकृत पद दिनांक 01-07-2009 की स्थिति में

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	उपलब्ध (4)	रिक्त पद (5)
1.	पुलिस अधीक्षक	01	01	00
2.	उप पुलिस अधीक्षक	05	02	03
3.	रक्षित निरीक्षक	02	01	01
4.	निरीक्षक	12	12	-
5.	सूबेदार	04	00	04
6.	उप निरीक्षक	29	08	21
7.	सहायक उप निरीक्षक	38	27	11
8.	प्रधान आरक्षक	109	92	17
9.	आरक्षक	557	288	269
10.	मु. लि./सूबेदार-एम	01	01	--
11.	स्टेनो/सूबेदार-एम	01	00	01
12.	आंकिक/सूबेदार-एम	01	00	01
13.	उप निरीक्षक-एम	01	02	--
14.	सहायक उपनिरीक्षक-एम	04	02	02
15.	डॉक्टर	01	01	00
16.	मेलनर्स	01	00	01
17.	कम्पाउण्डर	01	00	01
18.	एनसीसी (कुक्)	01	01	00
19.	एनसीसी (अर्दली)	01	01	00
20.	ड्रेसर	01	00	01
21.	स्वीपर (पूर्णकालिक)	01	01	00
22.	वाटरमैन (पूर्णकालिक)	01	01	00
23.	घोबी (पूर्णकालिक)	01	01	00
24.	ड्रेसर (पूर्णकालिक)	01	00	01

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 376) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	विकासखंड में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बलीदा	25	उप स्वा. केन्द्र, पहरिया
2.			उप स्वा. केन्द्र, सिवनी
3.			उप स्वा. केन्द्र, जर्वे (ब)
4.			उप स्वा. केन्द्र, बुडगहन
5.			उप स्वा. केन्द्र, बछीद
6.			उप स्वा. केन्द्र, डोंगरी
7.			उप स्वा. केन्द्र, जूनाडीह
8.			उप स्वा. केन्द्र, रसीटा
9.			उप स्वा. केन्द्र, खैजा
10.			उप स्वा. केन्द्र, गतवा
11.			उप स्वा. केन्द्र, खिस्तोर
12.			उप स्वा. केन्द्र, कुलीपोटा
13.			उप स्वा. केन्द्र, मड़वा
14.			उप स्वा. केन्द्र, पिसीद
15.			उप स्वा. केन्द्र, जर्वे (च)
16.			उप स्वा. केन्द्र, बलीदा (ए)
17.			उप स्वा. केन्द्र, बलीदा (बी)
18.			उप स्वा. केन्द्र, औरईकला
19.			उप स्वा. केन्द्र, कोसमंदा
20.			उप स्वा. केन्द्र, कमरीद
21.			उप स्वा. केन्द्र, पोंच
22.			उप स्वा. केन्द्र, पंतौरा
23.			उप स्वा. केन्द्र, कुरमा
24.			उप स्वा. केन्द्र, कुरदा
25.			उप स्वा. केन्द्र, देवरी
26.	डभरा	31	उप स्वा. केन्द्र, गोबर
27.			उप स्वा. केन्द्र, पेंडरूआ
28.			उप स्वा. केन्द्र, चन्द्रपुर
29.			उप स्वा. केन्द्र, धुरकोट
30.			उप स्वा. केन्द्र, डभरा
31.			उप स्वा. केन्द्र, सूखापाली
32.			उप स्वा. केन्द्र, सकराली
33.			उप स्वा. केन्द्र, देवरघटा
34.			उप स्वा. केन्द्र, फरसवानी
35.			उप स्वा. केन्द्र, कुसमुल
36.			उप स्वा. केन्द्र, काँसा
37.			उप स्वा. केन्द्र, सपोस
38.			उप स्वा. केन्द्र, छेवारीपाली
39.			उप स्वा. केन्द्र, पुटीडीह
40.			उप स्वा. केन्द्र, कोटमी

(1)	(2)	(3)	(4)
41.			उप स्वा. केन्द्र, गिरगिरा
42.			उप स्वा. केन्द्र, बड़ेकटेकोनी
43.			उप स्वा. केन्द्र, किरारी
44.			उप स्वा. केन्द्र, मिरीनी
45.			उप स्वा. केन्द्र, मडवा
46.			उप स्वा. केन्द्र, चंदली
47.			उप स्वा. केन्द्र, टुण्डी
48.			उप स्वा. केन्द्र, बघौद
49.			उप स्वा. केन्द्र, सुखदा
50.			उप स्वा. केन्द्र, कवली
51.			उप स्वा. केन्द्र, परसदा
52.			उप स्वा. केन्द्र, गोविंदपुर
53.			उप स्वा. केन्द्र, कोमो
54.			उप स्वा. केन्द्र, बसंतपुर
55.			उप स्वा. केन्द्र, उपनी
56.			उप स्वा. केन्द्र, सुरसी
57.	बम्हनीडीह	29	उप स्वा. केन्द्र, दारंग
58.			उप स्वा. केन्द्र, बम्हनीडीह
59.			उप स्वा. केन्द्र, दुरपा
60.			उप स्वा. केन्द्र, भवरेली
61.			उप स्वा. केन्द्र, सेमरिया
62.			उप स्वा. केन्द्र, बिरा (ब)
63.			उप स्वा. केन्द्र, लखुरी
64.			उप स्वा. केन्द्र, देवरी
65.			उप स्वा. केन्द्र, देवरहा
66.			उप स्वा. केन्द्र, बसंतपुर
67.			उप स्वा. केन्द्र, सोंठी
68.			उप स्वा. केन्द्र, चोरिया
69.			उप स्वा. केन्द्र, करनोद
70.			उप स्वा. केन्द्र, झरना
71.			उप स्वा. केन्द्र, कडारी
72.			उप स्वा. केन्द्र, पोंडीशंकर
73.			उप स्वा. केन्द्र, लखाली
74.			उप स्वा. केन्द्र, सारागांव
75.			उप स्वा. केन्द्र, अफरीद
76.			उप स्वा. केन्द्र, रिसदा
77.			उप स्वा. केन्द्र, सोनारपारा
78.			उप स्वा. केन्द्र, धानापारा
79.			उप स्वा. केन्द्र, भोजपुर
80.			उप स्वा. केन्द्र, जगदल्ला
81.			उप स्वा. केन्द्र, सरहर
82.			उप स्वा. केन्द्र, बिरा
83.			उप स्वा. केन्द्र, सिलाडीह
84.			उप स्वा. केन्द्र, तालदेवरी
85.			उप स्वा. केन्द्र, पुलेली
86.	जैपुर	22	उप स्वा. केन्द्र, भोषिया
87.			उप स्वा. केन्द्र, बेलादुला

(1)	(2)	(3)	(4)
88.			उप स्वा. केन्द्र, जैजैपुर
89.			उप स्वा. केन्द्र, तुषार
90.			उप स्वा. केन्द्र, ओडेकेला
91.			उप स्वा. केन्द्र, परसाडीह
92.			उप स्वा. केन्द्र, छिराडीह
93.			उप स्वा. केन्द्र, हरेटीकला
94.			उप स्वा. केन्द्र, गुजियाबोर
95.			उप स्वा. केन्द्र, हसौद
96.			उप स्वा. केन्द्र, चिस्टा
97.			उप स्वा. केन्द्र, करही
98.			उप स्वा. केन्द्र, फिवरा
99.			उप स्वा. केन्द्र, काशीगढ़
100.			उप स्वा. केन्द्र, ठठारी
101.			उप स्वा. केन्द्र, टूठी
102.			उप स्वा. केन्द्र, मलनी
103.			उप स्वा. केन्द्र, रायपुरा
104.			उप स्वा. केन्द्र, देवरघटा
105.			उप स्वा. केन्द्र, मुक्ता
106.			उप स्वा. केन्द्र, भोभीडीह
107.			उप स्वा. केन्द्र, चिखलरौंदा
108.	मालखरीदा	21	उप स्वा. केन्द्र, पिहरीद
109.			उप स्वा. केन्द्र, बड़े सीपल
110.			उप स्वा. केन्द्र, पोता
111.			उप स्वा. केन्द्र, मोहदीकला
112.			उप स्वा. केन्द्र, सुलौनी
113.			उप स्वा. केन्द्र, नवापारा
114.			उप स्वा. केन्द्र, पिरदा
115.			उप स्वा. केन्द्र, चरौदा
116.			उप स्वा. केन्द्र, किरारी
117.			उप स्वा. केन्द्र, मरघटी
118.			उप स्वा. केन्द्र, मुठपार
119.			उप स्वा. केन्द्र, भठोरा
120.			उप स्वा. केन्द्र, सारसकेला
121.			उप स्वा. केन्द्र, फगुरप
122.			उप स्वा. केन्द्र, सपिया
123.			उप स्वा. केन्द्र, सिंधरा
124.			उप स्वा. केन्द्र, सकर्त
125.			उप स्वा. केन्द्र, छपोरा
126.			उप स्वा. केन्द्र, बुंदेली
127.			उप स्वा. केन्द्र, मालखरीदा
128.			उप स्वा. केन्द्र, अडभार
129.	सक्ती	29	उप स्वा. केन्द्र, सक्तेली ब
130.			उप स्वा. केन्द्र, जावंग
131.			उप स्वा. केन्द्र, सक्ती (ए)
132.			उप स्वा. केन्द्र, सक्ती (बी)
133.			उप स्वा. केन्द्र, पोरथा
134.			उप स्वा. केन्द्र, सिंगनसरा

(1)	(2)	(3)	(4)
135.			उप स्वा. केन्द्र, टेमर
136.			उप स्वा. केन्द्र, बरपालीकला
137.			उप स्वा. केन्द्र, खैरा
138.			उप स्वा. केन्द्र, जर्वे
139.			उप स्वा. केन्द्र, कुरदा
140.			उप स्वा. केन्द्र, बाराद्धार (ए)
141.			उप स्वा. केन्द्र, बाराद्धार (बी)
142.			उप स्वा. केन्द्र, लवसरा
143.			उप स्वा. केन्द्र, डेरागढ़
144.			उप स्वा. केन्द्र, देवरी
145.			उप स्वा. केन्द्र, किरारी
146.			उप स्वा. केन्द्र, नंदीरकला
147.			उप स्वा. केन्द्र, रगजा
148.			उप स्वा. केन्द्र, परसदा खुर्द
149.			उप स्वा. केन्द्र, मसनियाकला
150.			उप स्वा. केन्द्र, सकरेलीकला
151.			उप स्वा. केन्द्र, पलाडीखुर्द
152.			उप स्वा. केन्द्र, असींदा
153.			उप स्वा. केन्द्र, सरवानी
154.			उप स्वा. केन्द्र, जुडगा
155.			उप स्वा. केन्द्र, सुमरेली
156.			उप स्वा. केन्द्र, धनपुर
157.			उप स्वा. केन्द्र, घुईचुनवा
158.	पामगढ़	27	उप स्वा. केन्द्र, बुन्देला
159.			उप स्वा. केन्द्र, भिलीनी
160.			उप स्वा. केन्द्र, तनीद
161.			उप स्वा. केन्द्र, हिरी
162.			उप स्वा. केन्द्र, राहौद
163.			उप स्वा. केन्द्र, महका
164.			उप स्वा. केन्द्र, पामगढ़
165.			उप स्वा. केन्द्र, चंडीपारा
166.			उप स्वा. केन्द्र, भीसों
167.			उप स्वा. केन्द्र, कोसा
168.			उप स्वा. केन्द्र, धरदेई
169.			उप स्वा. केन्द्र, जेवरा
170.			उप स्वा. केन्द्र, ससहा
171.			उप स्वा. केन्द्र, रसौटा
172.			उप स्वा. केन्द्र, कोडाभांट
173.			उप स्वा. केन्द्र, बारगांव
174.			उप स्वा. केन्द्र, कोसला
175.			उप स्वा. केन्द्र, सुकुलपारा
176.			उप स्वा. केन्द्र, लगरा
177.			उप स्वा. केन्द्र, लोहरसी
178.			उप स्वा. केन्द्र, तिवारीपारा
179.			उप स्वा. केन्द्र, मुलमुला
180.			उप स्वा. केन्द्र, कोनार
181.			उप स्वा. केन्द्र, सिल्ली

(1)	(2)	(3)	(4)
229.			उप स्वा. केन्द्र, भडेसर
230.			उप स्वा. केन्द्र, कुटरा
231.			उप स्वा. केन्द्र, सेमरा
232.			उप स्वा. केन्द्र, कचंद्रा
233.			उप स्वा. केन्द्र, कुरियारी
234.			उप स्वा. केन्द्र, किरीत
235.			उप स्वा. केन्द्र, बरगांव
236.			उप स्वा. केन्द्र, रोगदा
237.			उप स्वा. केन्द्र, सिउड
238.			उप स्वा. केन्द्र, हरदी
239.			उप स्वा. केन्द्र, केरा
240.			उप स्वा. केन्द्र, नगारीडीह
241.			उप स्वा. केन्द्र, कनस्दा
242.			उप स्वा. केन्द्र, कटोद
243.			उप स्वा. केन्द्र, मिस्दा
244.			उप स्वा. केन्द्र, नैला
245.			उप स्वा. केन्द्र, तुस्मा
246.			उप स्वा. केन्द्र, घुठिया

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम (3)
1.	बलीदा	उप स्वा. केन्द्र, पहरिया
2.		उप स्वा. केन्द्र, जर्वे (ब)
3.		उप स्वा. केन्द्र, बुडगहन
4.		उप स्वा. केन्द्र, बछीद
5.		उप स्वा. केन्द्र, डोंगरी
6.		उप स्वा. केन्द्र, रसीटा
7.		उप स्वा. केन्द्र, खीजा
8.		उप स्वा. केन्द्र, गतवा
9.		उप स्वा. केन्द्र, खिसौरा
10.		उप स्वा. केन्द्र, कुलीपोटा
11.		उप स्वा. केन्द्र, मड़वा
12.		उप स्वा. केन्द्र, पिसीद
13.		उप स्वा. केन्द्र, जर्वे (च)
14.		उप स्वा. केन्द्र, बलीदा (ए)
15.		उप स्वा. केन्द्र, बलीदा (बी)
16.		उप स्वा. केन्द्र, औराईकला
17.		उप स्वा. केन्द्र, कमरीद
18.		उप स्वा. केन्द्र, पोंच
19.		उप स्वा. केन्द्र, पंतौरा
20.		उप स्वा. केन्द्र, कुरमा
21.		उप स्वा. केन्द्र, कुरदा
22.		उप स्वा. केन्द्र, देवरी
23.	डभरा	उप स्वा. केन्द्र, धुरकोट
24.		उप स्वा. केन्द्र, डभरा
25.		उप स्वा. केन्द्र, फरसवानी
26.		उप स्वा. केन्द्र, कुसमुल
27.		उप स्वा. केन्द्र, कांसा
28.		उप स्वा. केन्द्र, छेवारीपाली
29.		उप स्वा. केन्द्र, पुटीडीह
30.		उप स्वा. केन्द्र, बड़ेकटेकोनी
31.		उप स्वा. केन्द्र, किरारी
32.		उप स्वा. केन्द्र, मिरानी
33.		उप स्वा. केन्द्र, मड़वा
34.		उप स्वा. केन्द्र, चंदली
35.		उप स्वा. केन्द्र, बघौद
36.		उप स्वा. केन्द्र, सुखदा
37.		उप स्वा. केन्द्र, कवली
38.		उप स्वा. केन्द्र, परसदा
39.		उप स्वा. केन्द्र, गोविंदपुर
40.		उप स्वा. केन्द्र, कोमो
41.		उप स्वा. केन्द्र, बसंतपुर
42.		उप स्वा. केन्द्र, उपनी
43.		उप स्वा. केन्द्र, सुरसी

(1)	(2)	(3)	
44.	बम्हनीडीह	उप स्वा. केन्द्र, भवरेली	
45.		उप स्वा. केन्द्र, सेमरिया	
46.		उप स्वा. केन्द्र, बिरा (ब)	
47.		उप स्वा. केन्द्र, लखुरी	
48.		उप स्वा. केन्द्र, देवरी	
49.		उप स्वा. केन्द्र, देवरहा	
50.		उप स्वा. केन्द्र, बसंतपुर	
51.		उप स्वा. केन्द्र, साँठी	
52.		उप स्वा. केन्द्र, करनोद	
53.		उप स्वा. केन्द्र, सारागाँव	
54.		उप स्वा. केन्द्र, धानापारा	
55.		उप स्वा. केन्द्र, भोजपुर	
56.		उप स्वा. केन्द्र, जगदल्ला	
57.		उप स्वा. केन्द्र, तालदेवरी	
58.		जैजैपुर	उप स्वा. केन्द्र, भोधिया
59.			उप स्वा. केन्द्र, बेलादुला
60.			उप स्वा. केन्द्र, जैजैपुर
61.			उप स्वा. केन्द्र, तुषार
62.			उप स्वा. केन्द्र, ओडेकेला
63.			उप स्वा. केन्द्र, परसाडीह
64.			उप स्वा. केन्द्र, छिराडीह
65.			उप स्वा. केन्द्र, हरेठीकला
66.			उप स्वा. केन्द्र, गुजियाबोर
67.			उप स्वा. केन्द्र, हसौद
68.			उप स्वा. केन्द्र, चिस्ता
69.			उप स्वा. केन्द्र, करही
70.			उप स्वा. केन्द्र, धिवरा
71.	उप स्वा. केन्द्र, कांशीगढ़		
72.	उप स्वा. केन्द्र, ठठारी		
73.	उप स्वा. केन्द्र, टूठी		
74.	उप स्वा. केन्द्र, मलनी		
75.	उप स्वा. केन्द्र, रायपुरा		
76.	उप स्वा. केन्द्र, देवरघटा		
77.	उप स्वा. केन्द्र, मुक्का		
78.	उप स्वा. केन्द्र, भोधोडीह		
79.	मालखरीदा		उप स्वा. केन्द्र, चिखलरौदा
80.			उप स्वा. केन्द्र, बड़े सीपत
81.		उप स्वा. केन्द्र, पोता	
82.		उप स्वा. केन्द्र, सुलौनी	
83.		उप स्वा. केन्द्र, नवापारा	
84.		उप स्वा. केन्द्र, पिरदा	
85.		उप स्वा. केन्द्र, चरौदा	
86.		उप स्वा. केन्द्र, किरारी	
87.		उप स्वा. केन्द्र, मरघटी	
88.		उप स्वा. केन्द्र, मुडपार	
89.		उप स्वा. केन्द्र, भठोरा	
90.		उप स्वा. केन्द्र, सारसकेला	

(1)	(2)	(3)
91.		उप स्वा. केन्द्र, बुंदेली
92.		उप स्वा. केन्द्र, मालखरीदा
93.		उप स्वा. केन्द्र, सकती (ए)
94.		उप स्वा. केन्द्र, सकती (बी)
95.		उप स्वा. केन्द्र, सिंघनसरा
96.		उप स्वा. केन्द्र, बरपालीकला
97.		उप स्वा. केन्द्र, खैरा
98.		उप स्वा. केन्द्र, जयें
99.		उप स्वा. केन्द्र, कुरदा
100.		उप स्वा. केन्द्र, बाराद्वार (बी)
101.		उप स्वा. केन्द्र, देवरी
102.		उप स्वा. केन्द्र, किरारी
103.		उप स्वा. केन्द्र, नंदीरकला
104.		उप स्वा. केन्द्र, रगजा
105.		उप स्वा. केन्द्र, परसदाखुर्द
106.		उप स्वा. केन्द्र, मसनियाकला
107.		उप स्वा. केन्द्र, पलाडीखुर्द
108.		उप स्वा. केन्द्र, असीदा
109.		उप स्वा. केन्द्र, जुडगा
110.		उप स्वा. केन्द्र, सुमरेली
111.		उप स्वा. केन्द्र, धनपुर
112.		उप स्वा. केन्द्र, घुईचुनवा
113.	पामगढ़	उप स्वा. केन्द्र, बुन्देला
114.		उप स्वा. केन्द्र, राहीद
115.		उप स्वा. केन्द्र, महका
116.		उप स्वा. केन्द्र, पामगढ़
117.		उप स्वा. केन्द्र, चंडीपारा
118.		उप स्वा. केन्द्र, धैसी
119.		उप स्वा. केन्द्र, कोसा
120.		उप स्वा. केन्द्र, धरदेई
121.		उप स्वा. केन्द्र, जेवरा
122.		उप स्वा. केन्द्र, रसौटा
123.		उप स्वा. केन्द्र, कोडाभांट
124.		उप स्वा. केन्द्र, बारगाँव
125.		उप स्वा. केन्द्र, कोसला
126.		उप स्वा. केन्द्र, सुकुलपारा
127.		उप स्वा. केन्द्र, लगरा
128.		उप स्वा. केन्द्र, लोहरसी
129.		उप स्वा. केन्द्र, तिवारीपारा
130.		उप स्वा. केन्द्र, मुलमुला
131.		उप स्वा. केन्द्र, कौनार
132.		उप स्वा. केन्द्र, सिल्ली
133.		उप स्वा. केन्द्र, बोरसी
134.		उप स्वा. केन्द्र, खोरसी
135.		उप स्वा. केन्द्र, डोंगाकोहरीद
136.	अकलतरा	उप स्वा. केन्द्र, कटनई
137.		उप स्वा. केन्द्र, नरियरा

(1)	(2)	(3)
138.		उप स्वा. केन्द्र, रसेडा
139.		उप स्वा. केन्द्र, हरदी
140.		उप स्वा. केन्द्र, बोटमौसोनार
141.		उप स्वा. केन्द्र, अकलतरी
142.		उप स्वा. केन्द्र, तागा
143.		उप स्वा. केन्द्र, झलमला
144.		उप स्वा. केन्द्र, अमोरा
145.		उप स्वा. केन्द्र, अकलतरा (ए)
146.		उप स्वा. केन्द्र, अकलतरा (बी)
147.		उप स्वा. केन्द्र, सुअरमाल
148.		उप स्वा. केन्द्र, परसाईनाला
149.	नवागढ़	उप स्वा. केन्द्र, बोडसरा
150.		उप स्वा. केन्द्र, धाराशिव
151.		उप स्वा. केन्द्र, सुकली
152.		उप स्वा. केन्द्र, अमोदा
153.		उप स्वा. केन्द्र, जगमहंत
154.		उप स्वा. केन्द्र, महंत
155.		उप स्वा. केन्द्र, अमोरा
156.		उप स्वा. केन्द्र, अवरदी
157.		उप स्वा. केन्द्र, जांजगीर (अ)
158.		उप स्वा. केन्द्र, रिगनी
159.		उप स्वा. केन्द्र, भडेसर
160.		उप स्वा. केन्द्र, कुटरा
161.		उप स्वा. केन्द्र, सेमरा
162.		उप स्वा. केन्द्र, कुरियारी
163.		उप स्वा. केन्द्र, किरीत
164.		उप स्वा. केन्द्र, बरगांव
165.		उप स्वा. केन्द्र, रोगदा
166.		उप स्वा. केन्द्र, सिउड
167.		उप स्वा. केन्द्र, हरदी
168.		उप स्वा. केन्द्र, केरा
169.		उप स्वा. केन्द्र, नगारीडीह
170.		उप स्वा. केन्द्र, कनस्टा
171.		उप स्वा. केन्द्र, कटींद
172.		उप स्वा. केन्द्र, मिस्टा
173.		उप स्वा. केन्द्र, नैला
174.		उप स्वा. केन्द्र, तुषमा
175.		उप स्वा. केन्द्र, घुटिया

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 167) के भाग (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में इंड सिनर्जी उद्योग महापल्ली-कोटमार रायगढ़ द्वारा किसानों से ली गई भूमि व उसमें स्थित वृक्ष, वृक्षों हेतु प्रदाय मुआवजा व काटे गये वृक्षों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	भूमि का विवरण		भू-अर्जन/भूमि विक्रय के समय राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या	वृक्षों के लिए भुगतान की गई मुआवजा राशि (रुपये में)	दिनांक 30-06-09 की स्थिति में भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या		वृक्ष काटने हेतु दी गई अनुमति का अधिकारीवार विवरण	
		खसरा नंबर	एकवा (हे. में)			खसरा नंबर	वृक्ष की संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	महापल्ली	1	0.445	30 मौहा, 1 साजा, अन्य 9	1043940	1	30 मौहा, 1 साजा, अन्य 9	रा. प्र. क्र. 17/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 27-2-04 द्वारा 1 मौहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई. रा. प्र. क्र. 10/अ-62/03-04 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 23-3-04 द्वारा 2 मौहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई. रा. प्र. क्र. 17/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 27-2-04 द्वारा 3 मौहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.	
		4	1.384	32 मौहा, 1 साजा, अन्य 20		4	32 मौहा, 1 साजा, अन्य 20		
		9	0.154	6 मौहा, अन्य 1		9	6 मौहा, अन्य 1		
		11	0.594	31 मौहा, 1 साजा, अन्य 6		11	26 मौहा, 1 साजा, अन्य 6		
		2/1	0.433	7 मौहा		2/1	7 मौहा		
		2/2	1.011	19 मौहा, अन्य 1		2/2	19 मौहा, अन्य 1		
		2/3	1.011	9 मौहा, अन्य 3		2/3	9 मौहा, अन्य 3		
		2/4	0.809	-		2/4	-		
		2/5	1.214	20 मौहा, तेंदू 5 चार-4		2/5	15 मौहा, तेंदू 5 चार-4		रा. प्र. क्र. 17/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 27-2-04 द्वारा 5 मौहा (मूल खसरा नंबर से) वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		2/6	0.809	17 मौहा, अन्य 1		2/6	17 मौहा, अन्य 1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2/7	1.011	4 मीहा		2/7	4 मीहा	
		2/8	0.706	5 मीहा, अन्य 2		2/8	5 मीहा, अन्य 2	
		2/9	0.809	8 मीहा		2/9	8 मीहा	
		2/10	1.011	-		2/10	-	
		27/3	0.405	13 मीहा	106860	27/3	13 मीहा	--,,--
		67	2.954	10 मीहा, अन्य 1	87680	67	10 मीहा, अन्य 1	--,,--
		68/2	3.237	08 मीहा	65760	68/2	8 मीहा	--,,--
		6/1	0.647	10 मीहा, अन्य 1	87680		8 मीहा, अन्य 1	रा. प्र. क्र. 10/अ-62/03-04 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 22-3-04 द्वारा 2 मीहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		20	1.829	24 तेंदू, 29 मीहा, अन्य 13	506900	20	18 तेंदू, 29 मीहा, अन्य 13	रा. प्र. क्र. 10/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 27-2-04 द्वारा 6 मीहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		27/6	0.809	09 मीहा	73980	27/6	9 मीहा	--,,--
		27/2	1.214	17 मीहा, अन्य 1	145220	27/2	17 मीहा, अन्य 1	--,,--
		27/7	0.405	3 मीहा	24660	27/7	3 मीहा	--,,--
		27/8	0.809	16 मीहा	131520	27/8	16 मीहा	--,,--
		66	1.023	06 मीहा	49320	66	6 मीहा	--,,--
		70/2	0.543	03 मीहा, अन्य 1	30140	70/2	3 मीहा अन्य 1	--,,--
		25/3	0.162	01 मीहा	8220	25/3	1 मीहा	--,,--
		79/4	0.805	08 मीहा	65760	79/4	8 मीहा	--,,--
		69/1	0.287	2 मीहा	41100	69/1	2 मीहा	--,,--
		73	0.656	3 मीहा		73	3 मीहा	--,,--
		74/4	0.344	07 मीहा	57540	74/4	7 मीहा	--,,--
		74/3	0.344	01 मीहा	8220	74/3	1 मीहा	--,,--
		74/1	0.336	01 मीहा	8220	74/1	1 मीहा	--,,--
		68/1	0.874	02 मीहा	16440	68	2 मीहा	--,,--
		77/1	0.445	05 मीहा, अन्य 1	46580	77/1	5 मीहा, अन्य 1	--,,--
		78	0.486	04 मीहा, अन्य 1	38360	78	4 मीहा, अन्य 1	--,,--
		14/1	0.056	02 मीहा	16440	14/1	2 मीहा	--,,--
		14/4	0.053	02 मीहा	16440	14/4	2 मीहा	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		14/5	0.053	02 मीहा	16440	14/5	2 मीहा	--,,--
		25/1	0.065	01 मीहा	8220	25/1	1 मीहा	--,,--
		74/5	0.336	03 मीहा	24660	74/5	3 मीहा	--,,--
		6/2	0.646	05 मीहा	260300	6/2	05 मीहा	
		6/3	0.646	06 मीहा		6/3	06 मीहा	
		7	0.757	05 मीहा		7	02 मीहा	रा. प्र. क्र. 10/अ-62/03-04 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 22-03-04 द्वारा 3 मीहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		21	1.117	11 मीहा		21	11 मीहा	
		22	0.219	04 मीहा		22	04 मीहा	
		8/4	0.127	अन्य 1		8/4	अन्य 1	
		61/1	0.162	3 मीहा	-	61/1	3 मीहा	वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई है.
		63	0.729	2 मीहा	-	63	2 मीहा	--,,--
		72	0.817	1 मीहा	-	72	1 मीहा	--,,--
		14/3	0.057	1 मीहा	-	14/2	-	रा. प्र. क्र. 17/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 07-10-03 द्वारा 1 मीहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		14/2	0.214	2 मीहा	-	14/2	-	रा. प्र. क्र. 17/अ-62/02-03 में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दि. 07-10-03 द्वारा 2 मीहा वृक्ष काटने की अनुमति दी गई.
		19/1	0.441	2 मीहा	-	19/1	2 मीहा	वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई है.
		77/2	0.445	1 मीहा	-	77/2	1 मीहा	--,,--
		61/4	0.121	3 मीहा	-	61/4	3 मीहा	--,,--
		12	0.109	3 मीहा	-	12	3 मीहा	--,,--
		15	0.360	3 मीहा	-	15	3 मीहा	--,,--
		46	0.709	4 मीहा	-	46	4 मीहा	--,,--
		80/1	1.00	3 मीहा	-	80/1	3 मीहा	--,,--
		99	0.283	2 आम, मीहा 5	-	99	2 आम, मीहा 5	--,,--
योग		59	39.637	521	3830520	59	494	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	कोटमार	288/5	1.214	35	287700	285/5	35 मीहा	वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई है.
		288/6	0.809	14	205500	288/6	14 मीहा	--,,--
		288/7	0.607	11		288/7	11 --,,--	
		301	1.003	25	205500	301	25 मीहा	--,,--
		237	0.700	2	245660	237	2 मीहा	--,,--
		291/5	0.445	1		291/5	1--,,--	
		239	0.809	8	115080	239	6 मीहा	--,,--
		297	0.466	3		297	3--,,--	--,,--
		299	0.206	3		299	3--,,--	--,,--
		298	0.198	15 आम	145220	298	15 आम	--,,--
				03 जामुन			03 जामुन	
				1 बरगद			1 बरगद	
		304/1	0.575	11 मीहा, 1 आम,	419220	304/1	11 मीहा, 1 आम	--,,--
				1 नीम, 1 कोसम,			1 नीम, 1 कोसम,	
				2 साजा, 2 पीपल,			2 साजा, 2 पीपल	
				1 बरगद			1 बरगद	
		304/2	0.809	33 मीहा		304/2	33 मीहा	
		288/8	1.214	13 मीहा, 1 तेंदू,	117820	288/8	13 मीहा, 1 तेंदू,	--,,--
				1 बरगद			1 बरगद	
		303/1	0.125	03 मीहा	24660	303/1	3 मीहा	--,,--
		303/2	0.134	03 मीहा	24660	303/2	03 मीहा	--,,--
		303/3	0.150	02 मीहा	16440	303/3	02 मीहा	--,,--
		315/1	0.245	1 मीहा	8220	315/1	01 मीहा	--,,--
		306/1	0.051	1 मीहा		306/1	1 मीहा	
		330/12	0.049	2 मीहा	16440		2 मीहा	--,,--
		335	0.713	01 मीहा	8220	335	1 मीहा	--,,--
		295	0.656	10 मीहा	82200	295	10 मीहा	--,,--
		315/2	0.245	3 मीहा, 5 नीम	52060	315/2	3 मीहा, 5 नीम	--,,--
		309/1	0.312	08 मीहा	65760	309/1	8 मीहा	--,,--
		309/2	0.316	08 मीहा, 1 सराई	76720	309/2	8 मीहा, 1 सराई	--,,--
		325	0.308	5 मीहा	106860	325	5 मीहा	--,,--
		332	0.670	8 मीहा		332	8 मीहा	
		329	0.437	04 मीहा, 1 तेंदू	38360	329	4 मीहा, 1 तेंदू	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		320	0.902	16 मीहा	131520	320	16 मीहा	--,,--
		327/1	1.878	9 मीहा	-	327/1	9 मीहा	--,,--
		343	1.141	4 मीहा	-	343	4 मीहा	
		344/1	0.324	1 मीहा	-	344/1	1 मीहा	
		344/2	5.779	12 मीहा	-	344/2	12 मीहा	
		327/2	0.571	3 मीहा	-	327/2	3 मीहा	--,,--
		250/1	0.121	1 मीहा	-	250/1	1 मीहा	--,,--
		313/2	0.267	1 मीहा	-	313/2	1 मीहा	
		318	0.388	2 मीहा	-	318	2 मीहा	
		319	0.210	1 मीहा	-	319	1 मीहा	
		323	0.310	2 मीहा	-	323	2 मीहा	
		333	0.405	3 मीहा	-	333	3 मीहा	
		342/2	2.023	8 मीहा, 3 साजा	-	342/2	8 मीहा, 3 साजा	--,,--
		330/1	0.154	2 मीहा	-	330/1	2 मीहा	--,,--
		288/9	0.417	2 मीहा	-	288/9	2 मीहा	--,,--
		300	0.105	1 मीहा	-	300	1 मीहा	
		307	0.388	2 मीहा	-	307	2 मीहा	--,,--
		301/358	0.506	7 मीहा	-	301/358	7 मीहा	
		330/4	0.057	1 मीहा	-	330/4	1 मीहा	--,,--
		330/5	0.073	1 मीहा	-	330/5	1 मीहा	
		330/11	0.105	3 मीहा	-	330/11	3 मीहा	--,,--
		330/23	0.229	2 मीहा	-	330/23	2 मीहा	
		330/8	0.057	2 मीहा	-	330/8	2 मीहा	--,,--
		330/16	0.049	1 मीहा	-	330/16	1 मीहा	
		330/19	0.041	1 मीहा	-	330/19	1 मीहा	
		316/2	0.235	6 मीहा, आम 1, सागीन 6	-	316/2	6 मीहा, आम 1, सागीन 6	--,,--
		296/1	0.534	3 मीहा	-	296/1	3 मीहा	--,,--
		305/1	1.185	12 मीहा	-	305/1	12 मीहा	--,,--
		336	3.508	21 मीहा, आम 1	-	336	21 मीहा, आम 1	--,,--
		305/2	0.162	1 मीहा	-	305/2	1 मीहा	--,,--
		316/1	0.243	3 मीहा	-	316/1	3 मीहा	
		302/2	0.150	3 मीहा	-	302/2	3 मीहा	--,,--
		302/1	0.150	4 मीहा	-	301/1	4 मीहा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		305/3	0.186	2 मीहा	-	305/3	2 मीहा	--,,--
		316/4	0.239	4 मीहा	-	316/4	4 मीहा	
		312	0.522	4 मीहा	-	312	4 मीहा	--,,--
		317	0.599	4 मीहा	-	317	4 मीहा	
		321	0.579	1 मीहा	-	321	1 मीहा	
		328	0.243	2 मीहा	-	328	2 मीहा	
		305/4	0.405	1 मीहा	-	305/4	1 मीहा	--,,--
योग		67	38.906	424	2172820	67	424	
3.	सियारपाली	147/2	0.405	07 मीहा	57540	147/2	10 मीहा	वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई है.
		149/1	0.890	16 मीहा, 2 आम	145220	149/1	16 मीहा, 2 आम	--,,--
		149/2	0.219	01 मीहा	8220	149/2	4 मीहा	--,,--
		150	0.413	08 मीहा	65760	150	8 मीहा	--,,--
		148	0.934	08 मीहा	65760	148	8 मीहा	--,,--
योग		05	2.861	40 मीहा 2 आम	342500	05	46 मीहा, 2 आम	
महायोग	3	131	81.404	987	6345840	131	966	27

टीप :- 1. भू-अर्जन के माध्यम से दी गई भूमि ग्राम महापल्ली के रकबा 6.129 हेक्टेयर तथा उद्योग द्वारा सीधे क्रय की गई भूमि रकबा 1.824 हे. में कोई वृक्ष स्थित नहीं है.
2. भू-अर्जन के माध्यम से दी गई भूमि ग्राम कोटमार के रकबा 3.564 हेक्टेयर तथा उद्योग द्वारा सीधे क्रय की गई भूमि रकबा 5.799 हे. में कोई वृक्ष स्थित नहीं है.